9 अनुलग्नक

अनुलग्नक–I

संगठन चार्ट

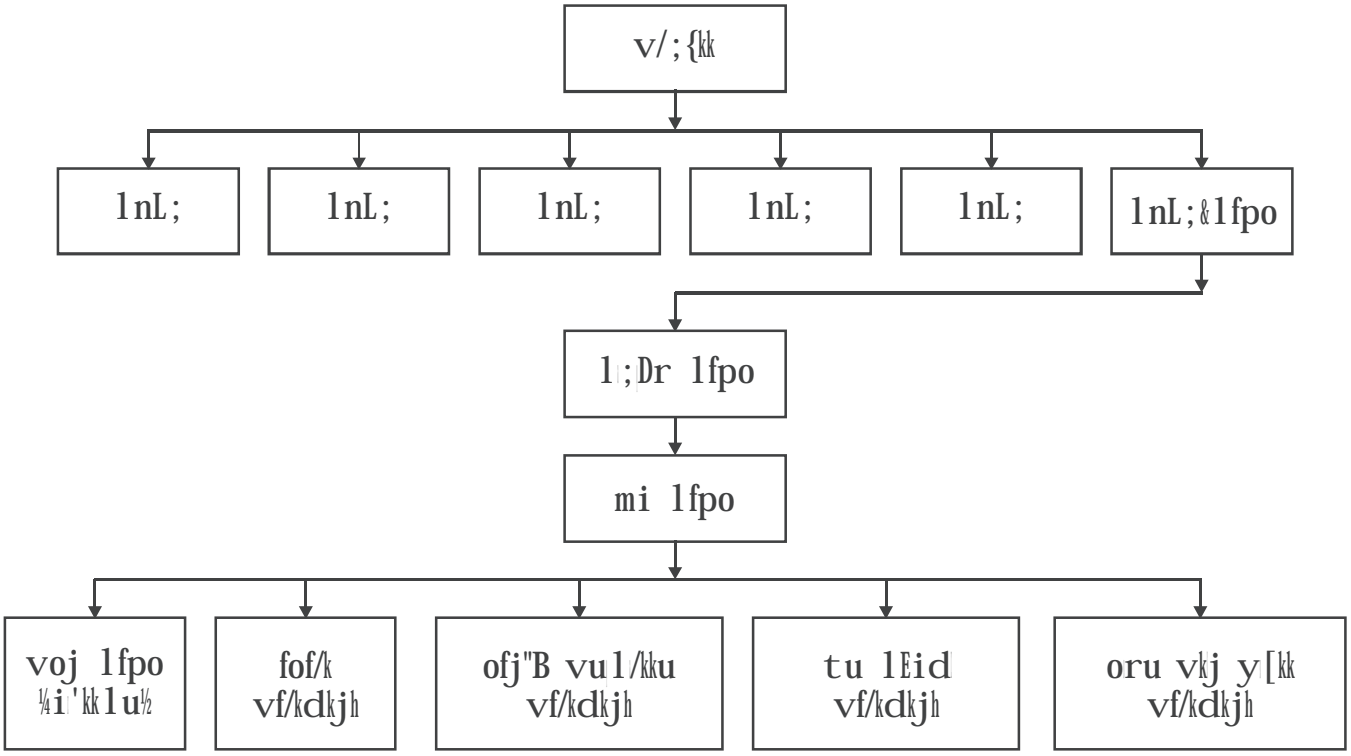

अनुलग्नक–II

राष्ट्रीय महिला आयोग में पंजीकृत शिकायतों का श्रेणी–वार ब्योरा
(वित्तीय वर्ष : 2009–2010)

क्रम सं.	शिकायतों की श्रेणी/प्रकृति	वित्तीय वर्ष 2009–2010
1.	तेजाब से हमला	04
2.	हत्या का प्रयास	08
3.	बलात्कार का प्रयास	249
4.	द्विविवाह/व्यभिचार	107
5.	बालकों की अभिरक्षा	02
6.	परित्याग	02
7.	तलाक	02
8.	घरेलू हिंसा/ वैवाहिक विवाद	2155
9.	दहेज मृत्यु	521
10.	दहेज उत्पीड़न	1339
11.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	401
12.	अपहरण/ भगा ले जाना	174
13.	भरण–पोषण	40
14.	विविध	6376
15.	छेड़छाड़ करना/ तंग करना	461
16.	हत्या	04
17.	अनिवासी भारतीयों से विवाह	16
18.	पुलिस की उदासीनता	2234
19.	पुलिस द्वारा उत्पीड़न	516
20.	संपत्ति (विधवा की संपत्ति, स्त्रीधन संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति)	764
21	बलात्कार	544
22.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	65
23.	आश्रय/ पुनर्वास	01
	कुल	**15985**

अनुलग्नक–III

राष्ट्रीय महिला आयोग में वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का राज्य–वार ब्योरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा	वित्तीय वर्ष 2009–2010
1.	आंध्र प्रदेश	104
2.	अरुणाचल प्रदेश	05
3.	असम	32
4.	बिहार	465
5.	छत्तीसगढ़	85
6.	गोवा	09
7.	गुजरात	110
8.	हरियाणा	710
9.	हिमाचल प्रदेश	57
10.	जम्मू एवं कश्मीर	22
11.	झारखंड	209
12.	कर्नाटक	74
13.	केरल	26
14.	मध्य प्रदेश	674
15.	महाराष्ट्र	409
16.	मणिपुर	02
17.	मेघालय	09
18.	मिजोरम	01
19.	नागालैंड	03
20.	उड़ीसा	51
21.	पंजाब	209
22.	राजस्थान	1339
23.	सिक्किम	03
24.	तमिलनाडु	158

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा	वित्तीय वर्ष 2009–2010
25.	त्रिपुरा	04
26.	उत्तर प्रदेश	8644
27.	उत्तराखंड	304
28.	पश्चिम बंगाल	144
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	04
30.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	13
31.	दादर एवं नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	02
32.	दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	01
33.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	शून्य
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2094
35.	पुद्दुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	09
	कुल	**15985**

अनुलग्नक–IV

बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की संशोधित योजना

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

माननीय उच्चतम न्यायालय ने देहली डोमेस्टिक वर्किंग वूमेन्स फोरम बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 362/93 में राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ऐसी योजना तैयार करने का निर्देश दिया जिससे "बलात्कार की दुर्भाग्यशाली पीड़िताओं के आंसू पौंछे जा सकें।" उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 38(1) में निहित नीति–निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि एक आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड स्थापित किया जाए क्योंकि बलात्कार पीड़िताओं को मानसिक संताप के अतिरिक्त प्रायः पर्याप्त वित्तीय हानि भी उठानी पड़ती है और कुछ मामलों में उन्हें इतना आघात पहुंचता है कि वे अपने रोजगार को जारी नहीं रख सकतीं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िताओं हेतु प्रतिपूर्ति का निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध हो जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध होने या न होने दोनों ही स्थितियों में कर सकता है। बोर्ड बलात्कार के कारण पीड़िता को हुए कष्ट, उसके द्वारा झेली जा रही परेशानी और मानसिक आघात तथा साथ ही गर्भधारण करने के कारण रोजगार खो देने पर आय से वंचित हो जाने और प्रसव पर होने वाले व्यय इन सभी मुद्दों पर विचार करेगा।

माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश पर कार्यवाही करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष स्कीम का एक प्रारूप प्रस्तुत किया था। इस संबंध में गठित सचिवों की समिति द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश सुझाए गएः

(i) बलात्कार पीड़िताओं को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग/महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक योजना–स्कीम तैयार की जाएगी और इस स्कीम में अंतरिम प्रतिपूर्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी।

(ii) प्रतिपूर्ति की राशि का निर्धारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

(iii) स्कीम के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान किया जाए जिसे सहायता–अनुदान के रूप में राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा।

(iv) किए गए दावों पर विचार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएं।

(v) राज्य सरकार द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर ध्यान देने के लिए आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड गठित करना।

(vi) गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को उपयुक्त निदेश जारी करेगा ताकि वे लोक अभियोजकों को यह निर्देश दें कि वे पीड़िताओं को उचित प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय देने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष पीड़िता का पक्ष रखें।

(vii) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस स्कीम की मानीटरिंग की जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन दिशानिर्देशों के आलोक में इस स्कीम को फिर से तैयार किया है और स्कीम को तैयार करने में आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पैरामीटरों और साथ ही बलात्कार पीड़िताओं की आवश्यकताओं के संबंध में इसके स्वयं के आकलन से दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं।

बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की योजना

1. इस स्कीम को बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की स्कीम, 2005 कहा जाएगा;

2. यह स्कीम संपूर्ण भारत पर लागू होगी;

3. यह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी;

4. इस स्कीम में वे सभी मामले शामिल होंगे, जिनमें आवेदन चाहे स्वयं बलात्कार पीड़िता द्वारा प्रस्तुत किए गए हों अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति/संगठन/विभाग/आयोग द्वारा;

5. "बलात्कार" का तात्पर्य वही होगा जैसाकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 और 376 में परिभाषित किया गया है।

6. जिला आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड

(क) स्कीम के अधिसूचित हो जाने पर प्रत्येक जिले में जिला आपराधिक क्षति राहत पुनर्वास बोर्ड नामक एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी;

(ख) उस जिले में इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को निपटाने के लिए बोर्ड का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा;

(ग) बोर्ड की अध्यक्षता कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जिस नाम से उसे पुकारा जाता है, द्वारा की जाएगी जिसमें चार अन्य सदस्य होंगे अर्थात–

(1) पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति;

(2) महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण के क्षेत्र में अनुभवी एक महिला जिसे राज्य सरकार द्वारा एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किया जाएगा (परंतु किसी भी नामित सदस्य को दो बार मनोनीत किया जा सकता है);

(3) जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी/जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति;

(4) संबंधित जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग का उप–निदेशक/परियोजना निदेशक/राजपत्रित जिला अधिकारी जो जिला बोर्ड के सचिव की हैसियत से कार्य करेगा और रिकार्डों का रखरखाव करेगा तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा;

(5) बाल कल्याण समिति का प्रतिनिधि (प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में)।

परंतु यदि राज्य सरकारों द्वारा राहत और पुनर्वास की कोई स्कीम प्रवृत्त की गई है तो जिला आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड का संघटन वैसी स्कीम के अनुरूप होगा और विद्यमान स्कीम के अंतर्गत आवेदक/पीड़िता को प्रदान किए जाने वाले लाभ उन बोर्डों द्वारा प्रशासित होंगे।

7. जिला बोर्ड की शक्तियां

(क) यह बोर्ड बलात्कार के सभी मामलों में दावों पर विचार करने और वित्तीय राहत प्रदान करने का प्राधिकरण होगा और मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त ऐसे अन्य राहत और पुनर्वास के उपाय करने के आदेश देगा;

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट इस स्कीम के अंतर्गत कार्यकलापों को निष्पादित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता या राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के अंतर्गत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करेगा।

8. जिला बोर्ड के कार्य

बोर्ड का गठन किए जाने पर, यह बोर्ड–

(i) इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार बलात्कार के सभी मामलों में, जैसा भी मामला हो,

वित्तीय राहत/पुनर्वास के दावों पर विचार करेगा और उपयुक्त अवार्ड प्रदान करेगा;

(ii) किसी कानूनी, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक अथवा सहयोग/सहायता के किसी अन्य रूप में बलात्कार पीड़िता की सहायता के लिए किए जाने वाले कार्यों की मानीटरिंग करेगा;

(iii) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा बलात्कार पीड़िताओं के पुनर्वास हेतु तैयार की गई किसी भी अन्य स्कीम (स्कीमों) का उपयोग करेगा;

(iv) पीड़िता के लिए मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा;

(v) पीड़िता को परामर्शदात्री सहायता की व्यवस्था करेगा;

(vi) न्यायालय में मामले की सुनवाई समाप्त होने तक पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा;

(vii) जांच की प्रगति की स्थिति की समय–समय पर समीक्षा करेगा;

(viii) युवा पीड़िताओं के मामले में संबंधित पीड़िता को शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षण या स्व–रोजगार के लिए प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराएगा;

(ix) पीड़िता के उपयुक्त पुनर्वास हेतु आवश्यक कोई भी अन्य सहायता प्रदान करेगा;

(x) पीड़िता द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी उपयुक्त मामले में जांच अधिकारी को बदलने की सिफारिश करेगा;

(xi) पीड़िता के लिए ऐसी अवधि के लिए आश्रय की व्यवस्था करेगा जो परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक हो;

(xii) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा समीचीन और आवश्यक समझे जाएं या जैसाकि राज्य/राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निदेशित किया जाए।

9. बोर्ड के समक्ष दावा करने की प्रक्रिया

(क) जैसे ही बलात्कार की घटना के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो और वह दर्ज कर ली जाए तो संबंधित पुलिस थाने का थानाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त के माध्यम से 72 घंटे के भीतर प्राथमिकी/शिकायत, चिकित्सा रिपोर्ट और जांच अधिकारी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रति जिला बोर्ड के सचिव को अग्रेषित करेगा।

(ख) (1) कोई पीड़िता अथवा उसका कानूनी उत्तराधिकारी अथवा कोई व्यक्ति/स्वयंसेवी संगठन जो महिलाओं के हितों का पक्षधर हो/आयोग इस स्कीम के प्रावधान के अनुसार वित्तीय राहत और पुनर्वास के लिए 60 दिनों के भीतर जिला बोर्ड को आवेदन कर सकता है;

यह भी कि यदि आवेदन 60 दिनों की अवधि व्यतीत होने के पश्चात किया जाता हो तो बोर्ड उसे लिखित में प्रस्तुत किए गए विलंब के कारणों से संतुष्ट हो जाने के पश्चात विलंब हेतु छूट प्रदान कर सकता है;

(2) यदि आवेदक है:–

(i) एक बच्चा तो उसके माता–पिता, संरक्षक, किसी स्वैच्छिक संगठन/आयोग द्वारा उसकी ओर से आवेदन किया जा सकता है;

(ii) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अनुसार मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति या मंदबुद्धि व्यक्ति के मामले में आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसके साथ पीड़िता आमतौर पर रहती हो अथवा विधिवत प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी या किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा किया जा सकता है;

(ग) उपर्युक्त खंड (ख) के अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक–1) में किया जाएगा और आवेदन के साथ पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिक/शिकायत, चिकित्सा रिपोर्ट, किसी उपयुक्त मामले में पीड़िता का मृत्यु प्रमाण–पत्र और यदि पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई हो तो सीधे न्यायालय को की गई शिकायत (इसके साथ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करने के कारणों का उल्लेख हो), समाचारपत्रों में छपी रिपोर्टों (यदि हों), की प्रतियां संलग्न की जाएं।

(घ) बोर्ड द्वारा राहत का अवार्ड दिए जाने पर राहत से संबंधित राशि तत्काल आवेदन–पत्र में दिए गए बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। जहां तक संभव हो, संबंधित राशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए तत्काल भेजी जाए ताकि पीड़िता को शीघ्रातिशीघ्र राहत प्राप्त हो सके।

10. जिला बोर्ड द्वारा दी जा सकने वाली राहत

(क) बोर्ड पीड़िता को वित्तीय राहत और साथ ही उसके पुनर्वास हेतु व्यवस्था किए जाने के लिए भी अवार्ड घोषित कर सकता है।

(ख) बोर्ड द्वारा दी जाने वाली राहत 2.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी; यह भी कि खण्ड 16 में उल्लिखित मामलों में राहत की राशि अधिकतम 3.00 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है।

11. अंतरिम राहत और पुनर्वास

(क) पुलिस से खण्ड 9(क) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर जिला बोर्ड पीड़िता के पक्ष में अधिमानतः 15 दिनों के भीतर और किसी भी स्थिति में अधिक से अधिक तीन सप्ताह के भीतर अंतरिम राहत के रूप में 20,000/– (केवल बीस हजार रुपए) की राशि जारी करेगा;

(ख) यदि आवेदन खण्ड 9(ख) के अंतर्गत किया गया हो तो पुलिस और चिकित्सक की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और प्रथमदृष्टया इस बात से संतुष्ट हो जाने के पश्चात कि बलात्कार का मामला वास्तव में घटित हुआ है, बोर्ड द्वारा यथासंभव 15 दिनों के भीतर और अधिक से अधिक 3 सप्ताह के भीतर पीड़िता और उसके कानूनी उत्तराधिकारी को 20,000/– (केवल बीस हजार रुपए) की अंतरिम राहत प्रदान करने का आदेश जारी करेगा।

(ग) शिकायत प्राप्त होने और पीड़िता की जांच किए जाने के पश्चात बोर्ड प्रत्येक मामले में मामले के गुणदोष के आधार पर पीड़िता के लिए किए जाने वाले पुनर्वास उपायों की प्रकृति की जांच/निर्धारण करेगा। ऐसे उपायों को करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा तथा पीड़िता के पुनर्वास हेतु अधिकतम 50,000/– रुपए तक की राशि का व्यय करेगा।

(घ) खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अंतर्गत अंतरिम और अन्य राहत के संबंध में अवार्ड घोषित किए जाने से पहले बोर्ड स्वयं को किए गए दावे के संबंध में संतुष्ट करेगा, दावे की प्रकृति के बारे में प्रारंभिक आकलन करेगा तथा चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की भी जांच करेगा।

(ड.) बोर्ड पीड़िता को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय राहत के अतिरिक्त, उसके पुनर्वास और/या उसकी किसी अन्य विशिष्ट आवश्यकता के दृष्टिगत उपयुक्त निर्देश जारी करेगा।

12. अंतिम राहत

(क) अभियोजिका द्वारा आपराधिक विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर या जिन मामलों में अभियोजिका के नियंत्रण के बाहर के कारणों से साक्ष्य दर्ज करने में अनुचित विलंब हुआ हो, उन मामलों में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, बोर्ड द्वारा पीड़िता को अंतिम किस्त के रूप में 1.

30 लाख रुपए तक की शेष राहत राशि प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा;

(ख) जिन मामलों में अंतिम राहत से संबंधित आदेश अभियोजिका के साक्ष्य को दर्ज करने से पहले जारी कर दिया गया हो, उनमें बोर्ड ऐसा करने के कारणों और साथ ही साक्ष्य को दर्ज करने में हुए विलंब के कारणों के संबंध में लिखित में उत्तर देगा;

(ग) बोर्ड प्रत्येक मामले में पीड़िता को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय राहत की राशि के संबंध में निर्णय करने से पहले पीड़िता की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा;

(घ) बोर्ड द्वारा वित्तीय राहत के संबंध में जारी किए जाने वाले आदेश प्रत्येक मामले में बोर्ड द्वारा पीड़िता के पुनर्वास हेतु जारी किए गए आदेशों/सुविधाओं के अतिरिक्त होंगे;

(ड.) यदि पीड़िता अवयस्क हो, तो राहत की राशि बोर्ड द्वारा उस पीड़िता के सर्वाधिक हित में और उसके कल्याण के लिए निधि के उपयुक्त उपयोग के संबंध में बोर्ड को समाधान हो जाने के पश्चात राहत की राशि उसके संरक्षक या जिस व्यक्ति ने उसकी ओर से आवेदन किया है, उसे जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में जहां व्यवहार्य हो, पीड़िता से उसकी लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाएगी;

(च) बोर्ड द्वारा कोई भी निर्णय सदैव पीड़िता के सर्वाधिक हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

13. दावों को अस्वीकार करना

(क) बोर्ड किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, यदि अच्छी तरह सोच–समझकर वह इस निर्णय पर पहुंचता हो कि:

(i) आवेदनकर्ता क्षति होने की परिस्थितियों के बारे में पुलिस को अथवा इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझे गए अन्य निकाय या व्यक्ति को सूचित करने के लिए अविलंब सभी उचित कदम उठाने में असफल रहा;

(ii) आवेदनकर्ता अभियुक्त/आक्रमणकारी को सजा देने का प्रयास करने में पुलिस या अन्य प्राधिकरण के साथ सहयोग करने में असफल रहा;

(iii) आवेदनकर्ता आवेदन के संबंध में बोर्ड को सभी उचित सहायता देने में असफल रहा;

(iv) यदि आवेदनकर्ता ने अपराध की पीड़िता के पुनर्वास और राहत के लिए इस योजना के तहत किसी आपराधिक क्षति के संबंध में पहले कोई दावा दायर किया है;

(v) यदि घटना इतनी विलंबित है कि कोई साक्ष्य पाना कठिन होगा;

(vi) यदि आवेदनकर्ता शिकायत दायर करने के पश्चात सुनवाई में जानबूझकर प्रतिकूल हो जाता है और अभियोग पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता;

(vii) 16 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के भाग जाने के उन मामलों में जिनमें प्रथमदृष्टया बलात्कार का मामला नहीं बनता, बोर्ड आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा अपितु कोई मुआवजा देने से पूर्व सुनवाई के नतीजे की प्रतीक्षा करेगा;

(viii) यदि मामला प्रथमदृष्टया दुरभिसंधिपूर्ण प्रकृति का प्रतीत होता हो तथा बलात्कार का मामला सत्यापित तथ्यों के आधार पर दायर न किया गया हो।

14. बोर्ड द्वारा कार्य करने की प्रक्रिया

(i) बोर्ड आवेदन/शिकायत की सुनवाई और/या जांच ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर करेगा, जो बोर्ड निर्धारित करे।

(ii) सामान्यतः, बोर्ड दस्तावेज और साक्ष्य प्राप्त करने पर और प्रथमदृष्टया मामले के संबंध में संतुष्ट हो जाने पर, पीड़िता और/या उसकी ओर से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत एजेंट/प्रतिनिधि की सुनवाई आयोजित करेगा तथा अंतरिम और अन्य राहतों के संबंध में आदेश जारी करेगा।

तथापि जिन मामलों में बोर्ड की यह सुविचारित राय हो कि पीड़िता और अन्य पक्षों की जांच अनिवार्य है और मामले की सुनवाई करने, साक्ष्यों और विचार–विमर्शों को रिकार्ड करने की कार्रवाई करता है, उन मामलों में बोर्ड द्वारा पीड़िता को अंतरिम और अन्य राहत के संबंध में स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता से संबंधित एक सकारण आदेश जारी किया जाएगा।

यह भी कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना और लिखित में कोई कारण बताए बिना उसके आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iii) बोर्ड की किसी बैठक में कोरम पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि उस बैठक में बोर्ड के एक–तिहाई से कम सदस्य उपस्थित न हों;

(iv) बोर्ड आवेदनकर्ता को संगत आवेदन की सुनवाई के समय और स्थान के बारे में सूचना देगा;

(v) बोर्ड को आवेदनकर्ता द्वारा किए गए आवेदन के संबंध में किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किसी भी रिकार्ड/दस्तावेज की मांग करने और किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसका बयान लेने का अधिकार होगा;

(vi) बोर्ड साक्ष्य तथा सुनवाई के साथ–साथ उसे उपलब्ध अन्य जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेगा;

(vii) पीड़िता और/या उसके एजेंट को मौखिक सुनवाई का अधिकार होगा;

(viii) बोर्ड की कार्यवाही बंद कमरे में होगी तथा पीड़िता की पहचान हर समय और हर परिस्थिति में गुप्त रखी जाएगी;

(ix) बोर्ड की कार्यवाही मुद्रित, प्रकाशित और टेलीकास्ट नहीं की जाएगी तथा किसी भी सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शित नहीं जाएगी;

15. पीड़िता के लिए राहत और पुनर्वास के निर्धारण को अभिशासित करने वाले सिद्धांत

मुआवजा तथा अन्य राहतें निर्धारित करते समय बोर्ड निम्नलिखित मानदंडों का ध्यान रखेगाः

(i) बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाने पर :

(क) यदि पीड़िता परिवार के लिए कमाई न करने वाली सदस्या हो, तो शव–परीक्षा की रिपोर्ट में प्रथमदृष्टया मामला सिद्ध हो जाने के पश्चात बोर्ड द्वारा राहत के रूप में 1,00,000/– रुपए (केवल एक लाख रुपए) तक की राशि प्रदान की जाएगी;

(ख) यदि पीड़िता परिवार के लिए कमाई करने वाली सदस्य हो, तो शव–परीक्षा की रिपोर्ट में प्रथमदृष्टया मामला सिद्ध हो जाने के पश्चात बोर्ड द्वारा यह समाधान हो जाने के पश्चात कि पीड़िता परिवार के लिए कमाई करने वाली सदस्य थी, उसके अवयस्क बच्चों की सहायता के लिए 2,00,000/– रुपए (केवल दो लाख रुपए) की राशि प्रदान की जाएगी।

(ii) बोर्ड पीड़िता के पुनर्वास और अन्य खर्चों, यदि कोई हो, जिसकी राशि अधिकतम 50,000/–रुपए होगी, से संबंधित मामलों में विचार करेगा जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगेः

(क) पीड़िता को हुई शारीरिक क्षति की किस्म और गंभीरता तथा पीड़िता के इलाज एवं मनोवैज्ञानिक मंत्रणा पर किया गया या होने वाला व्यय;

(ख) बलात्कार के कारण गर्भधारण हो जाने पर किया गया व्यय तथा बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भपात पर होने वाला व्यय;

(ग) पीड़िता की शिक्षा, अथवा व्यावसायिक अथवा व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण या स्व–रोजगार के लिए प्रशिक्षण पर किया गया या किया जाने वाला व्यय;

(घ) बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पीड़िता के लाभ के कार्यकलाप या रोजगार के बंद होने अथवा उसमें व्यवधान होने से पीड़िता को हुई हानि;

(ड.) कष्ट, मानसिक कष्ट या भावनात्मक आघात, अपमान या असुविधा के कारण गैर–वित्तीय हानि या क्षति;

(च) यदि पीड़िता उस स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान की रहने वाली है जहां अपराध हुआ था, तो उसके लिए आवास की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर किया गया व्यय।

(iii) वित्तीय और अन्य राहत निर्धारित करते समय बोर्ड इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि पीड़िता नाबालिक या मानसिक रूप से विकल नहीं है तथा ऐसा होने की स्थिति में और अधिक वित्तीय राहत देने तथा विशेष राहत का उपाय करने पर भी विचार करेगा।

(iv) बोर्ड राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों और सुविधाओं के साथ राहत और पुनर्वास उपायों के लिए सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित संगठनों का यथासंभव उपयोग करेगा।

16. विशेष मामलों में राहत में वृद्धि–

(i) राज्य बोर्ड को राष्ट्रीय बोर्ड से पूर्व परामर्श करके निम्नलिखित मामलों में राहत के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का अधिकार होगा जिसके लिए राहत की राशि अधिकतम 3,00,000/– रुपए होगी:

(क) 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति अपराध जिनके लिए विशेष इलाज और देखभाल की जरूरत हो;

(ख) मानसिक रूप से परेशान, मानसिक बाधाग्रस्त महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध जिनके लिए विशेष इलाज और देखभाल की जरूरत हो;

(ग) जिन मामलों में बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता यौन संसर्ग द्वारा संचारित रोगों से संक्रमित हो गई हो जिनमें पीड़िता का एचआईवी/एड्स द्वारा प्रभावित होना भी शामिल है;

(घ) जिन मामलों में बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो जाए और अपने नियंत्रण से बाहर हो चुकी परिस्थितियों के कारण उसे उस बच्चे को जन्म देना पड़े;

(ड.) ऐसे मामले जिनमें पीड़िता को गंभीर चिकित्सीय समस्याओं का सामना करना पड़े जिसमें शारीरिक और मानसिक समस्याएं शामिल हैं;

(च) कोई अन्य निर्धारित आधार।

17. राज्य बोर्ड का गठनः

(i) महिला और बाल विकास या समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव जो राज्य बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(ii) इसके अतिरिक्त, राज्य बोर्ड में पांच अन्य सदस्य होंगे जिनमें गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी, विधि मंत्रालय के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मनोनीत तीन प्रतिनिधि जो महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनों और मामलों के जानकार हों, शामिल होंगे। राज्य महिला आयोग का सदस्य–सचिव या उसके स्थान पर या आयोग की अध्यक्षा

द्वारा मनोनीत कोई अन्य अधिकारी इस बोर्ड का सचिव नियुक्त किया जाएगा;

(iii) मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा परंतु उनके कार्यकाल में एक और वर्ष का विस्तार किया जा सकता है।

18. राज्य बोर्ड के कार्य:

(i) राज्य बोर्ड जिला बोर्डों के कार्यों का समन्वय करेगा और उन पर निगरानी रखेगा;

(ii) राज्य बोर्ड उसे केंद्र सरकार द्वारा आबंटित धनराशि तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई अतिरिक्त धनराशि का जिला बोर्डों को समुचित संवितरण सुनिश्चित करेगा;

(iii) पीड़िता को उचित चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकरणों को निर्देश जारी करेगा;

(iv) बोर्ड पीड़िता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड को कोई याचिका दिए जाने पर स्व–प्रेरणा से या अन्यथा ऐसी शिकायत की जांच करेगा जिसमें बलात्कार और/या इस योजना के प्रावधानों से संबंधित किसी अन्य मामले के बारे में आरोप लगाया गया हो और मामले को जिला बोर्ड के पास भेजेगा;

(v) बोर्ड जिला बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ सभी अपीलों पर विचार करेगा;

(vi) साधारण परिस्थितियों के उचित मामलों में राष्ट्रीय बोर्ड की पूर्व अनुमति से मुआवजे की राशि बढ़ाएगा जो अधिक से अधिक 3,00,000/– रुपए होगी।

19. राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड का गठन:

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड नामक एक निकाय का गठन किया जाएगा;

(ii) राष्ट्रीय बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जो बोर्ड की अध्यक्ष होगी, और पांच अन्य सदस्य जिनमें राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य–सचिव, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कम से कम संयुक्त सचिव के रैंक का एक अधिकारी, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनों और मामलों का जानकार एक सदस्य जिसे राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा मनोनीत किया जाए, महिलाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करने का अनुभवप्राप्त एक सदस्य तथा एक अन्य सदस्य जो चिकित्सक हो अथवा बलात्कार से संबंधित मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा द्वारा नियुक्त किया जाएगा, शामिल होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य–सचिव राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड के सदस्य–सचिव के रूप में भी कार्य करेंगी।

(iii) राष्ट्रीय बोर्ड के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा और इनका कार्यकाल एक अतिरिक्त बार भी बढ़ाया जा सकता है।

20. राष्ट्रीय बोर्ड के कार्य:

राष्ट्रीय बोर्ड इस स्कीम का संचालन करेगा और इस प्रयोजनार्थः–

(i) इस स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन और संचालन हेतु नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित करेगा।

(ii) इस स्कीम के तहत देय राशि की मात्रा और अन्य राहतों की समय–समय पर समीक्षा करेगा और केंद्र सरकार को सलाह देगा।

(iii) बोर्ड मंत्रालय को राज्य सरकारों को लोक अभियोजकों को इस आशय के उपयुक्त निर्देश जारी करने की सलाह देगा कि वे पीड़ितों को उपयुक्त मुआवजा देने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष दलील दें और

स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराएं।

(iv) निधियों/बजट की आवश्यकता का प्राक्कलन करेगा।

(v) राज्य बोर्डों के लिए निधियों का प्रशासन और आबंटन करेगा।

(vi) पीड़िता को उपयुक्त चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकारियों को निर्देश जारी करेगा।

(vii) केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से पुनर्वास स्कीमों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करेगा और उन्हें जारी करेगा।

(viii) स्कीम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगा और उसका मूल्यांकन करेगा तथा समय–समय पर इस संबंध में रिपोर्ट मंगाएगा।

(ix) स्कीम के क्रियान्वयन हेतु स्कीम के तहत गठित राज्य एवं जिला प्राधिकरणों के कार्यकरण के बीच समन्वय स्थापित करेगाा और उन पर निगरानी रखेगा।

(x) बोर्ड स्वप्रेरणा से या अन्यथा अथवा पीड़िता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति या किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा उसे याचिका प्रस्तुत किए जाने पर किसी ऐसी शिकायत की जांच कर सकता है या करवा सकता है जिसमें बलात्कार और/या इस स्कीम के उपबंधों से संबंधित किसी मामले के संबंध में आरोप लगाया गया है और मामले को उपयुक्त जिला या राज्य बोर्ड के पास भेजेगा।

21. वित्त/अनुदान सहायता:

(i) केंद्र सरकार स्कीम के क्रियान्वयन के लिए बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को धनराशि का आबंटन करेगी जो राष्ट्रीय बोर्ड को हस्तांतरित की जाएगी और उसके माध्यम से वह निधि सहायता–अनुदान के रूप में जिला बोर्डों को अंतरित की जाएगी।

(ii) बजटीय आबंटन राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड के परामर्श से किया जाएगा।

(iii) एक सक्षम न्यायालय द्वारा बलात्कार के अपराधी पाए गए व्यक्तियों से एकत्र की गई जुर्माना/लागत, मुआवजे की राशि न्यायालय के आदेश पर राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड में जमा की जाएगी।

(iv) राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड राज्य आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्डों को उनकी आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आबंटन करेगा। राज्य आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड आगे जिला आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्डों को धनराशि आबंटित करेंगे।

(v) बजटीय आबंटन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा:

(क) इस स्कीम के तहत दी गई सहायता पर होने वाला व्यय जिसमें राज्य आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्डों को दिए गए अनुदान भी शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय, राज्य और जिला क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्डों के कार्यकरण के लिए अपेक्षित कोई अन्य व्यय जिसमें पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए आवश्यक धनराशि भी शामिल है।

22. लेखे और लेखापरीक्षा

केंद्रीय, राज्य और जिला बोर्ड सही लेखे और अन्य संगत रिकार्ड रखेंगे और एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेंगे जिसमें आय और व्यय खाता और तुलन–पत्र भी सम्मिलित होंगे। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

23. इस योजना के तहत दिए जाने वाले आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357/357क के तहत दिए गए किसी आवेदन के अतिरिक्त होंगे।

आवेदन प्रपत्र

1. पीड़िता का नाम :
2. पीड़िता की आयु :
3. माता–पिता का नाम : (क) पिता
   (ख) माता
4. पता :
5. घटना की तारीख और समय :
6. घटना घटित होने का स्थान :
7. आवेदक का नाम :
8. पीड़िता के साथ संबंध (कानूनी उत्तराधिकारी या गैर–सरकारी संगठन)
9. क्या प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है? यदि "हा", तो प्राथमिकी की एक प्रति संलग्न करें:
   यदि "नहीं", तो इसके कारण बताएं
10. क्या न्यायालय में शिकायत दर्ज करा दी गई है?: यदि हां, तो उसकी एक प्रति संलग्न करें।
11. क्या चिकित्सीय जांच करवाई गई है?: यदि हां, तो चिकित्सीय रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें।
12. बैंक खाते का ब्योरा :

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–V

उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएपी) आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	मेरिट एजूकेशनल सोसाइटी, गांव – लारमा, पी ओ सानेकुची, जिला नलबाड़ी, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
2.	युवा ज्योति, ज्योति कुची, रामनगर, गुवाहाटी, जिला कामरूप, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
3.	मिशन फॉर इंटिग्रेशन, जेंडर इक्विटी, हारमोनी एंड फाइट अगेंस्ट थ्रेट, मकान संख्या 2, भागदत्तापुर, बेलटोला बाजार, गुवाहाटी–731028, असम	एलएपी	₹ 30,000/-
4.	मणिकुंतल महिला उन्नयन केंद्र, निकट भरतठाकुर क्लिनिक, खारगुली, गुवाहाटी, असम	एलएपी	₹ 30,000/-
5.	डॉ. अम्बेडकर मिशन, असम, गांव धोपातरी, पी ओ चांदसारी, जिला कामरूप–781101, असम	एलएपी	₹ 30,000/-
6.	डिस्ट्रिक्ट सोशल वेल्फेयर ऑफिस, चालीहा नगर, बाइलेन–7, सेक्टर–2 (नाम घर के निकट), तिनसुकिया (असम)–786125	एलएपी	₹ 28,425/-
7.	नेशनल एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, दिसपुर, लखीम नगर, गुवाहाटी–6, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
8.	ज्योतिमय फाउंडेशन, ग्राम – रुक्मिनीगांव, मकान सं.401, पी ओ खानापाड़ा, जिला कामरूप, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
9.	फॉर वेल्फेयर टू ऑल "हेपाह" बिहमपुर, पी ओ मुलारकुची, जिला नलबाड़ी (असम) – 781 303	एलएपी	₹ 40,000/-
10.	प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, सुहा, पी ओ भोगरपार, बारपेटा, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
11	सोसाइटी फॉर होलिस्टिक एप्रोच फॉर रूरल पीपल डेवलपमेंट, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
12.	अभिजन, गांव देहारकुची, पी ओ सोनेकुची, पुलिस थाना घोगरापेर, जिला नलबाड़ी, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
13.	नॉर्थ–ईस्ट पीपल्स राइट, चाहिनीहाबी गांव, पी ओ तिमोन, जिला शिवसागर, असम – 785691	एलएपी	₹ 40,000/-
14.	इत्तेहाद सोशियो–कल्चरल आर्गेनाइजेशन, नगरिया पट्टी, पी ओ हाइबोर गांव, जिला नौगांव, असम	एलएपी	₹ 40,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
15.	लाइट ऑफ विलेज इनर्जी, एच ओ ज्योतिकुची, रामनगर, गुवाहाटी–34, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
16.	मराचवालकोवा वाटरशेड एसोसिएशन, विलेज एंड पोस्ट कमलाबाड़ी, जिला बारपेटा, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
17.	प्रयास, बिजनी टाउन, पी ओ एवं पी एस बिजनी, जिला चिरंग, बी टी ए डी, असम – 783390	एलएपी	₹ 40,000/-
18.	ड्रीम्स, गांव धुरकुची, पी ओ चतमा, जिला नलबाड़ी, असम – 781350	एलएपी	₹ 40,000/-
19.	कुंवर चतिया संधानी महिला समिति, झांजी हंचारा, जोरहाट, असम	एलएपी	₹ 80,000/-
20.	असम राज्य महिला आयोग, असम	एलएपी	₹ 1,20,000/-
21.	नॉर्थ–ईस्ट ब्राइट सोसाइटी, आर्यभट्ट पथ, पंजाबारी, गुवाहाटी–37, जिला कामरूप, असम	एलएपी	₹ 80,000/-
22.	लुरफुइया नवजागरण क्लब, जिला बारपेटा, असम	एलएपी	₹ 80,000/-
23.	हरिजन लेबर अभ्युदय संगम, डी नंबर 16/275 – 2, नंदलपाडु, ताड़ीपतरी–515411, अनंतपुर जिला (आंध्र प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
24.	"आइडियाज" आइडियल डेवलपमेंटल इनपावरमेंट एक्सेसरी सोसाइटी, भाग्य नगर, चौथी गली, द्वितीय क्रॉस रोड, अंगोले, जिला प्रकाशम, आंध्र प्रदेश – 523001, फोन नं. 9392475659	एलएपी	₹ 30,000/-
25.	नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, 303, अखिल अपार्टमेंट्स, नेहरू नगर, तिरुपति –517507, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
26.	कृषि महिला मण्डली, नव इंडिया (नेटवर्क एसोसिएशन ऑफ वूमेन एजेंसीज), डी नंबर, 5/10, होस्पिटल रोड, मुथुकर–524344, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	एलएपी	₹ 20,000/-
27.	इंदिरा विकास महिला मण्डली, कडप्पा, डी नंबर 732–3, रवि नगर, कडप्पा–516003, आंध्र प्रदेश	एलएपी	₹ 20,000/-
28.	आर एम एस एस (रूरल महिला सेवा समिति), संख्या 3–6–162, कतिका रंगाडी स्ट्रीट, तिरुपति – 517501, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
29.	श्री लक्ष्मी रूरल डेवलपमेंट एंड एजूकेशनल सोसाइटी, डी नंबर 8/883, जयनगर कालोनी, कल्याण दुर्ग (एम)–515761	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
30.	नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, नेहरू नगर, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
31.	अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग	एलएपी	₹ 4,00,000/-
32.	एसोसिएशन फॉर दॅ वेल्फेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, पुराना अरुणाचल टाइम्स भवन, यूको बैंक के नीचे, तेनाली, ईटा नगर, अरुणाचल प्रदेश	एलएपी	₹ 80,000/-
33.	सीईएनसीओआरईडी, सेंटर फॉर कम्युनिकेशन रिसोर्सिज डेवलपमेंट, ए–16, बुद्ध कालोनी, पटना – 800001, बिहार	एलएपी	₹ 30,000/-
34.	ग्रामदीप मधुबनी, गांव गोसांइटोला, पोस्ट राघोपुर ब्लाट, वाया रामपति, जिला मधुबनी (बिहार) – 847211	एलएपी	₹ 30,000/-
35.	महिला मदर टेरेसा सेवा संस्थान, मार्फत आलम मंजिल, मोहल्ला जय प्रकाश नगर, वार्ड सं. 22, जिला खगड़िया (बिहार) – 851204	एलएपी	₹ 30,000/-
36.	नव बिहार उद्योग मण्डल, सैदा बाजार, हिल्सा, जिला नालंद, बिहार	एलएपी	₹ 30,000/-
37.	जागृति जन कल्याण समिति, श्याम नगर, भिकनपुर, भागलपरु, बिहार	एलएपी	₹ 30,000/-
38.	हरिजन आदिवासी महिला कल्याण समिति, वीर कुंवर सिंह कालोनी, दलहट्टा बाजार, मुंगेर (बिहार)	एलएपी	₹ 30,000/-
39.	भवानी ट्रेनिंग सेंटर, मगरा, पोस्ट मगरा, जिला नालंदा (बिहार)	एलएपी	₹ 30,000/-
40.	ग्रामोद्योग आश्रम देवीस्थान, गया रोड, नवादा–805110 (बिहार)	एलएपी	₹ 30,000/-
41.	दॅ मिल्लत एजूकेशनल, इकोनोमिकल एंड सोशल रिफोर्म सोसाइटी, मोहल्ला फकीराखान, उर्दू बाजार, दरभंगा (बिहार) –846004	एलएपी	₹ 30,000/-
42.	ज्ञान सागर, छोटा बरियारपुर, हवाई अड्डा, निकट चित्रकूट मंदिर, मोतीहारी, पूर्वी चंपारन, बिहार–84540	एलएपी	₹ 30,000/-
43.	महिला उद्योग केंद्र, परमेश्वर भवन, मिर्जापुर लाइनपार, नवादा, बिहार	एलएपी	₹ 30,000/-
44.	हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट – जनकपुर रोड, पुपरी	एलएपी	₹ 30,000/-
45.	ऋषि सेवा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गांव शिवप्रसाद नगर, पोस्ट बांजा, भइयाथान, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़	एलएपी	₹ 30,000/-
46.	निर्मल सहयोगी समाज सेवी संस्था, बिलासपुर, नजदीक रेलवे क्रॉसिंग, लाल खदान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	एलएपी	₹ 60,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
47.	पीपल फॉर एजूकेशन, रिसर्च स्कॉलरशिप एंड आउटवार्ड न्यूट्रिशन, द्वितीय तल, 39, मोहम्मदपुर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली	एलएपी	₹ 60,000/-
48.	ईसान एनवायरनमेंटल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, 1327, सेक्टर ए, पॉकेट बी, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070	एलएपी	₹ 60,000/-
49.	उन्नी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, 9 न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021	एलएपी	₹ 60,000/-
50.	महक सेवा समिति (रजि.), सी–8/502, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली–110086	एलएपी	₹ 30,000/-
51.	नारी जागृति एवं सामाजिक उत्थान संगठन, मुख्यालयः मकान संख्या 56, हस्तसाल गांव, नई दिल्ली–59	एलएपी	₹ 30,000/-
52.	एसबीएस फाउंडेशन, ए–361, सरस्वती मार्ग, मंडावली, फजलपुर, दिल्ली–92	एलएपी	₹ 60,000/-
53.	क्राफ्टस एंड सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, 3484/1, नारंग कालोनी, त्रि नगर, दिल्ली–35	एलएपी	₹ 60,000/-
54.	भगवान देवी एजूकेशनल एंड सोशल वेल्फेयर एसोसिएशन, 657/1, नई बस्ती, देवली, नई दिल्ली–62	एलएपी	₹ 30,000/-
55.	अखिल प्रोग्रेसिव एंड कल्चर, जीएच–1/80, ऊपरी तल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–63	एलएपी	₹ 30,000/-
56.	देहली कॉलेज डिसटेंस लर्निंग एजूकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, एफ–10, 11–12, भगवती गार्ड एक्सटेंशन, सिद्धात्री एनक्लेव, नई दिल्ली–59	एलएपी	₹ 60,000/-
57.	दॅ सोसाइटी फॉर वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस, तिरुपति प्लाजा, यूजी–4, ए–212 सी, गली नं 1, विकास मार्ग, शकर पुर, दिल्ली–110092	एलएपी	₹ 60,000/-
58.	कल्पतरु समाज कल्याण संघ, आर जेड 282–ए, गली नंबर 11, गोपाल नगर, नजफगढ़, नई दिल्ली–110043	एलएपी	₹ 30,000/-
59.	सेव ऑर सोल इंडिया, ई–4/60, सुल्तानपुर, नांगलोई, नई दिल्ली	एलएपी	₹ 30,000/-
60.	पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, ओम विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली	एलएपी	₹ 30,000/-
61.	पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, आर जैड एच 163, कमला पार्क, धर्मपुरा, नई दिल्ली	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
62.	बंधुआ मुक्ति मोर्चा, 7, जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली	एलएपी	₹ 30,000/-
63.	इंडियन ऑडिट एजूकेशन एसोसिएशन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली	एलएपी	₹ 30,000/-
64.	इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल वेल्फेयर एक्शन, नई पार्क सोसाइटी, निकट मारुति सोडा फेक्टरी, मालीवार, व्यारा, जिला – तापी (दक्षिण गुजरात)	एलएपी	₹ 30,000/-
65.	समाज कल्याण समिति रामगढ़, कार्यालय : वी पी ओ रामगढ़, तहसील और जिला जींद, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
66.	दॅ आदर्श नशामुक्ति समिति, न्यू एम्पलाइज कालोनी, निकट जिला जेल, गोहाना रोड, जींद (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
67.	"सेवा" सोसाइटी फॉर एजूकेशन एंड वेल्फेयर एक्टिविटीज, निकट बिजली घर, वी पी ओ नांगल चौधरी, नारनौल, जिला महेंद्रगढ़ (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
68.	विश्वकर्मा एजूकेशनल सोसाइटी, गली नंबर 1, जीवन नगर, सोनीपत, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
69.	ग्रामीण विकास समिति, पानीपत, पंजीकृत कार्यालय, पता वी पी ओ भांदरी, मडलुड, जिला पानीपत, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
70.	श्री गणेश शिक्षा समिति, सरकारी अस्पताल के पीछे, गांव और पोस्ट डॉ. चौधरी नांगल चौधरी, नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा–123023	एलएपी	₹ 30,000/-
71.	ग्रामीण युवा विकास मण्डल, न्यू भाटिया कालोनी, पानीपत, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
72.	मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, गांव कलवाड़ी, पोस्ट डोंगरा अहीर, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा–123021	एलएपी	₹ 30,000/-
73.	दॅ रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट (आरओएडी), मार्फत बतरा निवास, वार्ड–24, निकट रेलवे लाइन, शिव पार्क, संजीवन एनक्लेव, रोहतक–124001 (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
74.	आर के एजूकेशनल सोसाइटी (रजिस्टर्ड), गांव – भानी भारोन, तहसील मेहम, जिला रोहतक, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
75.	सोना वेल्फेयर सोसाइटी, 192, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, रोहतक–124001	एलएपी	₹ 30,000/-
76.	सर छोटू राम युवा क्लब, वी पी ओ बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
77.	समाज विकास शिक्ष समिति, वी पी ओ बहिबा, पन्ना पनड़ी, मेहम, जिला रोहतक	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
78.	शिव जन जागृति शिक्षा समिति, मकान संख्या 1809/31, शिव नगर, भिवानी रोड, रोहतक	एलएपी	₹ 30,000/-
79.	गेहलू ज्ञान भारती शिक्षा समिति, ग्राम एवं पोस्ट बोंड कलां, पाना मिरान, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
80.	युवा स्पोर्ट्स समिति, निकट बिजली घर, चौधानी, जुलाना, तहसील जींद	एलएपी	₹ 30,000/-
81.	ग्रामीण महिला विकास समिति, गांव बिरधाना, झज्जर, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
82.	नया सवेरा, हीरा भवन, न्यू अंटा कालोनी, सफीदों, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
83.	जीवन ज्योति समिति, बरनाला रोड, जिला सिरसा–125055 (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
84.	श्रद्धा, 2131/17, अशोक प्लाजा, दिल्ली रोड, रोहतक (हरियाणा)– 124001	एलएपी	₹ 30,000/-
85.	अखिल भारतीय समाज सुरक्षा समिति, मार्फत चमन लाल, मकान संख्या 623/12, निकट रॉयल प्लेस, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के सामने, भट्टी गेट, झज्जर (हरियाणा) – 124103	एलएपी	₹ 30,000/-
86.	अखिल भारतीय नवयुवक कला संगम, मार्फत शर्मा निवास, 54 फुटा रोड, विद्या नगर, भिवानी, हरियाणा–127021	एलएपी	₹ 30,000/-
87.	महिला चेतना समिति, भीम सिंह निवास, वी पी ओ चिमनी, बेरी, झज्जर, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
88.	दॅ एसोएिशन फॉर रूरल पीपल्स डेवलपमेंट, मार्फत ब्रह्मकुमार, मकान संख्या 232/9, शीला बाई पास चौक, जसबीर कालोनी, रोहतक (हरियाणा) – 12400	एलएपी	₹ 30,000/-
89.	हरियाणा ग्राम सुधार एवं सांस्कृतिक क्लब, दहलीज पन्ना, वी पी ओ सुनारियां कलां, जिला रोहतक (हरियाणा) – 124001	एलएपी	₹ 30,000/-
90.	ऑल इंडिया कॉमनवेल्थ आर्गेनाइजेशन, 94/22, लक्ष्मी नगर, रोहतक, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
91.	सेंटर फॉर एजूकेशन एंड सोशल वेल्फेयर, 665/20, 20, प्रेम नगर, रोहतक (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
92.	समाज जागृत सेवा समिति, निकट इंडियन पब्लिक स्कूल, 54 फुटा रोड, विद्या नगर, भिवानी (हरियाणा) – 127021	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
93.	हरियाणा विकास संघ, मार्फत उमराव सिंह निवास, वी पी ओ चिमनी, बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
94.	जन सेवा समिति, वार्ड 3, शिव मार्किट, तहसील मेहम, जिला रोहतक, हरियाणा – 124112	एलएपी	₹ 30,000/-
95.	हरियाण ग्रामीण विकास शिक्षा समिति, मकान संख्या 636–ए/ 20, प्रेम नगर, रोहतक–124001, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
96.	शिव वेल्फेयर सोसाइटी, वी पी ओ अहीरका, तहसील जींद, जिला जींद, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
97.	अमन ग्राम उद्योग समिति (पंजीकृत), मकान संख्या 1095, एन एच बी कालोनी, अर्बन एस्टेट, करनाल	एलएपी	₹ 30,000/-
98.	बुनियाद एजूकेशन सोसाइटी, 1560, सेक्टर 2, रोहतक–124001, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
99.	लक्ष्य एजूकेशन, आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी, मार्फत दलाल कांप्लेक्स ऑफिस, ऑफिस नंबर 4, द्वितीय तल, निकट राज मोटर्स, दिल्ली रोड, रोहतक–124001	एलएपी	₹ 30,000/-
100.	ग्रामीण महिला सशक्तीकरण संघ, निकट भारतीय विद्या मंदिर स्कूल, छोटू राम मार्ग, आर्य नगर, झज्जर–124103	एलएपी	₹ 30,000/-
101.	ग्रामीण विकास मंच, वी पी ओ गोली, असंध, जिला करनाल (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
102.	हंस एजूकेशन सोसाइटी, शिवनगर, भिवानी रोड, निकट शिवालिक सीनियर सेकंडरी स्कूल, रोहतक	एलएपी	₹ 30,000/-
103.	ग्राम सुधार समिति, वी पी ओ खानपुर ब्राह्मण, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
104.	सेवाहर, वी पी ओ लाहा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
105.	विज्ञान शिक्षा केंद्र, गांव रजना कलां, पोस्ट बुद्ध खेड़ा पिल्लू खेड़ा, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
106.	ग्रामीण विकास संस्थान, वी पी ओ फरमाना खास, मेहम, जिला रोहतक, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
107.	ग्रामीण युवा विकास मण्डल, वी पी ओ भूंड कलां, ब्लॉक चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
108.	गोल्डन फ्यूचर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जींद रोड, रोहतक, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
109.	नालंदा एजूकेशन सोसाइटी, वी पी ओ – साह चौखा, ब्लॉक पुनहाना, जिला मेवात, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
110.	पीपल अवेयरनेस फॉर रूरल एक्शन सोसाइटी (पीएआरए), ग्राम एवं पोस्ट दराहल, ब्लॉक चौंतरा, तहसील जोगेंद्र नगर, जिला मण्डी–176120, हिमाचल प्रदेश	एलएपी	₹ 40,000/-
111.	अखिल भारतीय युवा विकास संस्थान, मोहल्ला सूखी जोहड़ी (बीडीओ ऑफिस के पीछे), धरम पुर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश	एलएपी	₹ 40,000/-
112.	सहारा समाज सेवी संस्था, होटल थ्रि स्टार्स ब्रदर्स, नियर पेट्रोल पंप, थियोग, हिमाचल प्रदेश	एलएपी	₹ 80,000/-
113.	जन जातीय शिक्षा एवं उत्थान समिति, गांव गंगोटा, पोस्ट खनियारा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	एलएपी	₹ 40,000/-
114.	उपकार स्वं–सेवी संस्थान, पलामू, झारखंड	एलएपी	₹ 30,000/-
115.	सोशल एंड हेल्थी एक्शन फॉर रूरल एम्पावरमेंट (एसएचएआरई), पी ओ सारजामदा, जमशेदपुर, जिला : पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड – 831002	एलएपी	₹ 30,000/-
116.	जम्मू कश्मीर राज्य महिला आयोग, 191 – वाणी हाउस (पोस्टर ऑफिस के निकट), राज बाग, श्री नगर	एलएपी	₹ 4,40,000/-
117.	जम्मू कश्मीर राज्य महिला आयोग, 191 – वाणी हाउस (पोस्टर ऑफिस के निकट), राज बाग, श्री नगर	एलएपी	₹ 1,00,000/-
118.	कणक कल्चरल फाउंडेशन (पंजी.), एलआईजी 80, हुडको कालोनी, बिदर, कर्नाटक–585401	एलएपी	₹ 30,000/-
119.	श्री विद्या सरस्वती महिला मंडल, विद्या नगर, पी ओ कादिरुद्ध यावरा, बेलतन गाडी तालुक, कर्नाटक	एलएपी	₹ 30,000/-
120.	खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, खरकुल साउथ, इम्फाल पश्चिम जिला, मणिपुर, पी ओ मंत्री पुखरी, पी एस – सिकमइ–795002, मणिपुर	एलएपी	₹ 80,000/-
121.	ट्रेडिशन कल्चर एंड बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर (टीसीबीआरसी), मुख्यालय – वी पी ओ अशोक पम्प, ताउबल जिला, मणिपुर–795183	एलएपी	₹ 80,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
122.	वूमेन एंड चिल्ड्रन केयर सेंटर एंड रूरल डेवलपमेंट (डब्ल्यूसीसीसी आरडी), सिंगजामेई, थोडगम, लेईकई, इम्फाल पश्चिम जिला – मणिपुर	एलएपी	₹ 40,000/-
123.	खुमिडोक मुस्लिम वूमेन वेल्फेयर सोसाइटी, खुमिडोक डैम माखोंग, जामा मस्जिद मैनिंग्स, एस पी ओ – पांजेई, इम्फाल पूर्वी–795114	एलएपी	₹ 40,000/-
124.	सेल्फ एम्पलायड ट्राइबल एंड बैकवर्ड वूमेन्स एसोसिएशन, मणिपुर (एस ई ई टी ए), पोरोमपट पी डी ए कॉम्पलेक्स, इम्फाल, मणिपुर	एलएपी	₹ 40,000/-
125.	रेडको फाउंडेशन (फाउंडेशन फॉर रूरल इकोनमिक डेवलपमेंट को–आप्रेशन), ईराम सिफालाविंग लेईकई, बी पी ओ ईराम सिफई–795008, इम्फाल, पश्चिम जिला, मणिपुर	एलएपी	₹ 80,000/-
126.	मणिपुर राज्य महिला आयोग, इम्फाल, मणिपुर	एलएपी	₹ 30,000/-
127.	दि क्रिस्टी यूथ वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, पी ओ – नोंगक्रेम, शिलांग–793015, मेघालय	एलएपी	₹ 80,000/-
128.	नोंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन, पूर्वी खासी पर्वतीय जिला, शिलांग, मेघालय–793015	एलएपी	₹ 80,000/-
129.	अमत्सर, किरो लोअर जेल रोड, शिलांग, मेघालय	एलएपी	₹ 40,000/-
130.	मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, मेघालय	एलएपी	₹ 80,000/-
131.	इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डो–पब्लिक हेल्थ हाइजीन एंड मल्टीपल एजूकेशन, मित्र नगर, खोरी गली, लातूर–413439, महराष्ट्र	एलएपी	₹ 60,000/-
132.	बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहु–उद्देश्यीय प्रसारक मण्डल, कराद नगर, अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	एलएपी	₹ 30,000/-
133.	भारतीय ध्यान वर्धिनी लोक विकास संस्था, लातूर, महाराष्ट्र	एलएपी	₹ 30,000/-
134.	दॅ वूमेन्स वेल्फेयर सोसाइटी, संख्या 146, सेक्टर 2, शिवबासव नगर, बेलगाम–590010	एलएपी	₹ 30,000/-
135.	नेटिव एजूकेशन एंड एम्पलायमेंट डेवलपिंग सोसाइटी, चैम्बर नं.3, नोटरी मार्किट, मिंटो हॉल के सामने, पुराना विधान सभा रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
136.	नवेदिता कल्याण समिति, 13/164, मानस नगर (बारा), रीवा (मध्य प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
137.	चौधरी रूपनारायाण दूबे, समाज कल्याण समिति, कुशवाहा कालोनी, इटावा रोड, भिंड, मध्य प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
138.	समाधान जन सेवा एवं शिक्षा प्रसार समिति, तानसेन नगर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	एलएपी	₹ 60,000/-
139.	मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, 35, राजीव गांधी भवन, खण्ड 2, श्यामला हिल, भोपाल (मध्य प्रदेश)	एलएपी	₹ 60,000/-
140	स्व. श्री गुथु सिंह जी बोहरे शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम एवं पोस्ट – पिउर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
141.	ब्रिलियंट स्टार एजूकेशन सोसाइटी, 1203, आनंद नगर, सागर तल रोड, भवदा पुर, पोस्ट – शब्द प्रताप आसरा, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
142.	उत्कर्ष महिला एवं बाल कल्याण संस्थान, राम मंदिर कालोनी, पुलिस लाइन, नई सड़क, शाहजापुर, मध्य प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
143.	प्रजापति महिला मण्डल, स्नेह नगर कालोनी, पावर हाउस के नजदीक, लाहर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
144.	अमृत स्मृति बाल कल्याण समिति, एस–1, स्वप्निल अपार्टमेंट, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
145.	सोशल वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन ऑफ दॅ लेडीज एंड फॉर दॅ लेडीज, 4711, लक्ष्मी विहार, पी ओ– सैनिक स्कूल, नंदन कानन रोड, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	एलएपी	₹ 30,000/-
146.	वर्ल्ड विज़न, मधुबन, पी ओ – नागाबागीचा, जिला पुरी, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
147.	एसोसिएशन फॉर वूमेन्स डेवलपमेंट (अवार्ड), पतासरा, पी ओ जनकोटि, जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
148.	रूरल डिस्ट्रेस वेल्फेयर एसोसिएशन (आरडीडब्ल्यूए), नूवां बुद्धा केरा, पी ओ दीपीदेवली, जिला पुरी, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
149	बिजी राम स्वयं महिला समिति (बीएसएमएस), अराना पी ओ जनकोटि, वाया/जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
150.	आदर्श जगदा, एम ई स्कूल लेन, मकान सं.सी/198, राउरकेला–42, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
151.	पुष्पांजलि कल्चरल एसोसिएशन, टीकरा पारा यूपी स्कूल के पीछे, पीओ/जिला बोलंगीर–767001 (उड़ीसा)	एलएपी	₹ 60,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
152.	इंटरनेशनल वेल्फेयर काउंसिल, प्लाट संख्या 825/274, सेक्टर 8, सी डी ए, अभिनव बिदनासी, कटक–753014	एलएपी	₹ 30,000/-
153.	सोशल वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन ऑफ दॅ लेडीज एंड फॉर दॅ लेडीज, एमआईजी–11, 10/21, बीडीए कालोनी, सी एस पुर, भुवनेश्वर–751016	एलएपी	₹ 60,000/-
154.	आदर्श जगदा, एम ई स्कूल लेन, मकान सं.सी/198, राउरकेला–42, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा	एलएपी	₹ 60,000/-
155.	स्वीट हार्ट ग्राम एवं पोस्ट – बाली पटना, खुरदा, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
156.	सुलोचन एजूकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम/ पोस्ट – पाटिया, भुवनेश्वर, जिला खुरदा, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
157.	संजीवनी सोसाइटी, डॉक्टर्स हाउस, निकट डॉ. बॉम आवास, दामिनी लेन, मधुबन, उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
158.	"दिशा", डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल ह्युमन एक्शन, डी –218, जवाहर नगर, भरत पुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
159.	मेवाड़ जनजाति कल्याण सोसाइटी, 54, जेनिरात चौक, जोशी ब्रदर्स स्ट्रीट, सूरजपुर, जिला उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
160.	मेवाड़ जनजाति कल्याण सोसाइटी, 54, जेनिरात चौक, जोशी ब्रदर्स स्ट्रीट, सूरजपुर, जिला उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
161.	कस्तूरबा महिला शिक्षा समिति (केएमएसएस), ए–133, बस्सी सीताराम पुर, जयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
162.	इंडियन सोसाइटी, 7/71, केल्वा हाउस, बिच्छू घाटी, जिला उदयपुर, राजस्थान–313001	एलएपी	₹ 30,000/-
163.	आरती महिला विकास संस्थान, 709, सूर्य नगर, सेक्टर–3, हिरण मार्ग, जिला उदयपुर, राजस्थान–313001	एलएपी	₹ 30,000/-
164.	दिशा विकास संस्थान, बीकानेर, दुर्गा सदन, बाबा राम देव टाइल्स फेक्टरी के पीछे, शर्मा कालोनी, रानी बाजार, बीकानेर, राजस्थानप	एलएपी	₹ 60,000/-
165.	दीप विद्या मंदिर समिति (डीवीएमएस), गायत्री नगर, दौसा, तहसील एवं जिला – दौसा, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
166.	रूरल एनवायरनमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, आरईएटीआई, दौसा, हरियाणा धर्म कांटा के पीछे, गायत्री नगर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
167.	आदर्श ग्रामीण शिक्षा समिति, ग्राम – बड़ोदा वाया सैथल, तहसील एवं जिला दौसा, राजस्थान–303507	एलएपी	₹ 30,000/-
168.	आजाद नवयुवक मण्डल संस्थान, गणेश नगर, तहसील एवं जिला – दौसा, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
169.	समग्र जागृति एवं विकास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट बारावर्दा, वाया धामोतर, ब्लॉक एवं जिला – प्रतापगढ़, राजस्थान–312616	एलएपी	₹ 30,000/-
170.	जागृति सेवा संस्थान, 25, पार्वती गार्डन के पीछे, मधुबन, सेंथि, चित्तौडगढ़, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
171.	ग्रामीण विकास संस्थान, 1042, नई आबादी पोस्ट – मावली जंक्शन, जिला उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
172.	अपर्णा शिक्षा समिति, सेक्टर 2/380, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
173.	प्रसा अनुसंधान संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
174.	रुचि रूरल डेवलपमेंट संस्थान, 107, कृष्णा विहार, सेक्टर 5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर–302033	एलएपी	₹ 60,000/-
175.	युवा संजीवनी समिति, बीकानेर, काशी सदन, हनुमान हट्टा, बीकानेर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
176.	रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, 117/20, अग्रवाल फार्म, जयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
177.	अरिहंत महिला एवं बाल विकास समिति, प्लाट सं.2, फिट टेलर वाली गली बिल्डिंग के साथ, एयरोड्रोम सर्कल, कोटा, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
178.	इंस्टिट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल अफेयर्स, 36–के 5, ज्योति नगर, जयपुर–302005	एलएपी	₹ 60,000/-
179.	मरुक्षेत्रीय विकास एवं सामाजिक संस्थान, गली नं. 3, धोबी तलाई, बीकानेर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
180.	विश्वकर्मा आदर्श विद्या मंदिर संस्था, गुरुजी माधो लाल सिरोलिया मार्ग, हरिराम जी मंदिर के पीछे, चोपड़ा बारी, गंगानगर, बीकानेर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
181.	नवराजीव फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर सोसाइटी, 25, श्याम विहार, चोरडिया पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर	एलएपी	₹ 60,000/-
182.	चित्तौड़गढ़ जिला ग्रामीण उपभोक्ता सेवा संस्थान, जडाना, तहसील रश्मि, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
183.	मधुर बहुजन कल्याण सेवा समिति, अलीगढ़ (उ.प्र.)	एलएपी	₹ 30,000/-
184.	नर्मदा मेमोरियल समिति, अजमेर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
185.	लक्ष्य विनर्स शिक्षण संस्थान, श्रीगंगानगर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
186.	श्री राजीव गांधी मेमोरियल संस्थान, चुरु, राजस्थान	एलएपी	₹ 90,000/-
187.	अंजनेय सेवा समिति, श्रीपति नगर, पोस्ट डोबका, उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
188.	सोशल वेल्फेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, जघलावर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
189.	ह्युमन डेवलपमेंट एंड चेरिटेबल सोसाइटी, ई–200, रोड, उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
190.	ग्रामीण विकास संस्थान, नई आबादी मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
191.	वसुधा संस्थान, समता नगर, हिरण मगरी, उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
192	अरिहंत महिला एवं बाल विकास समिति, कोटा, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
193.	"वाइस" वोलंटरी आर्गेनाइजेशन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट, 48ए, फॉरेस्ट रोड, 6ठी गली, थेनी– 625531 (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
194.	रूरल एजूकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी (आरईडीएस), 6/316, मारुति नगर, त्रिचि रोड, पोस्ट एवं जिला नलमक्कल–637001 (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
195.	रोजा वूमेन कंज्युमर राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन, नंबर 189, पलम स्टेशन रोड, सेलूर, मदुरै–625002 (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
196.	ह्युमन मिरर ट्रस्ट, 4/502–डी, केवीएमएस ईलम, अंदावर नगर, नामक्कल (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
197.	राजीव गांधी मेमोरियल वूमेन्स रूरल डेवलपमेंट सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन, 202, पोईगईकराइपट्टी, कलांदिरी, पी ओ मदुरै, नॉर्थ तालुक, जिला मदुरै, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 30,000/-
198.	मैरी जीसस सोशल वेल्फेयर ट्रस्ट, 185, मारावनकुडीइरुप्पु, कुट्टुर पी ओ, नागरकोइल–629002, जिला कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
199.	रूरल वूमेन एजूकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, 21–बी, नंदगोपाल नायकी, 4थी गली, एमएमडब्ल्यू कालोनी, तिरु नगर, मदुरै–625007 (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
200.	ग्लोबल इन्नोवेशन एनवायरनमेंट ट्रस्ट, 111/32, एआरटी बिल्डिंग, राजम्बला नगर, कल्लाकुरिचि–6206202, जिला विलुपुरम (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
201.	"वीडब्ल्यूडीएस" विलेज वूमेन्स डेवलपमेंट सोसाइटी, विलानकूपम गांव, पोस्ट केलुर, तालुक पोलुर वाया वडामतिमंगलम, जिला तिरुवन्नामलै, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 30,000/-
202.	ओएसिस फाउंडेशन, 1025, सोसाइटी कालोनी, पी ओ ओदानचत्रम, जिला डिंडीगुल–624619, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 20,000/-
203.	स्नेगम मल्टी सोशल एक्शन मूवमेंट सोसाइटी, नंबर 67/62, द्वितीय क्रॉस स्ट्रीट, सीआईटी नगर, नंदनम, चेन्नै–35, तमिलनाडु–600035	एलएपी	₹ 20,000/-
204.	एग्रीड (एसोसिएशन फॉर ग्राम राज्यम एंड रूरल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट), सर्वोदय इलम, मेत्तुपेरुमल नगर, वाडीपट्टी–625208, जिला मदुरै, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 20,000/-
205.	अन्नाइथेरासल वोलंटरी आर्गेनाइजेशन कामुथि (एटीवीओके), सवरियार गली, पोस्ट कामुथि, जिला रामनाथपुरम, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 30,000/-
206.	पीपल्स एजूकेशन एंड इकोनमिक डेवलपमेंट सोसाइटी, 1/26, परदेशी पट्टी, पोस्ट काका नगराई, तालुका तिरुपत्तूर, जिला वेल्लोर–635654	एलएपी	₹ 30,000/-
207.	वूमेन्स वेल्फेयर सोसाइटी, 2रा वारद, वाटर टैंक स्ट्रीट, रासिंगापुरम–625528, तालुक बोधिनायकानूर, जिला थेणी, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 30,000/-
208.	वूमेन कंज्युमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन (डब्ल्यूसीपीए), अलगरनगर, पांचवीं गली, के पुदूर, मदुरै–625007	एलएपी	₹ 30,000/-
209.	रूरल हेल्थ एंड इकोनमिक डेवलपमेंट सोसाइटी (मदर टेरेसा सेवा सेंटर), मयूर गांव एवं पोस्ट (वाया) वानापुरम–606753, तालुक–जिला तिरुवन्नामलै, (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
210.	तिरुमंनागई चेरिटेबल ट्रस्ट, 58सी/2, कटचेरी रोड, कल्लाकुरिचि, विल्लूपुरम, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 30,000/-
211.	शांति काली मिशन, पी ओ बीरेंद्र नगर, जिरानिया, पश्चिम त्रिपुरा–799045	एलएपी	₹ 80,000/-
212.	सर्व शैक्षिक संस्थान, पी–18, दिनारा मस्जिद के निकट, खादर, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
213.	स्टुडेंट सोशल आर्गेनाइजेशन, गांव राम पुर, गौरी बाजार, देवरिया (उत्तर प्रदेश)–274202	एलएपी	₹ 30,000/-
214.	दर्पण, म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैराना घराना (पंजी.) इंडिया, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–246149	एलएपी	₹ 30,000/-
215.	नवापाड़ा लक्ष्मी नारायण खादी ग्रामोन्नयन महिला संस्थान, पी ओ – एन महाद्वीप, बिरभूम, पश्चिम बंगाल–731234	एलएपी	₹ 30,000/-
216	आजाद सेवा समिति, वी वी इंटर कॉलेज रोड, शामली, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
217.	बाल विद्या मंदिर, गांव और पोस्ट कुड़ढा, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
218.	किसान शैक्षणिक संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट रायसो, ब्लॉक बहेंद्रकलां, तहसील सांडिला, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
219.	आसमां वेल्फेयर संस्थान, सिकरोड़ी, अंधे की चौकी, हरदोई रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
220	अखिल भारतीय जनकल्याण विकास समिति, 61, जी–10, ई चांदपुर सलोरी, पी ओ तेलियारगंज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)–211004	एलएपी	₹ 30,000/-
221.	शिवम सेवा संस्थान, मोहल्ला एवं पोस्ट कटरा, गोसाईगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
222.	राजा कल्याण समिति, तासका, नैनीताल रोड, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
223.	रोसा (रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एडवांसमेंट), गांव काकड़माटा (निकट आदर्श बाल विद्यालय), पी ओ – डी एल डब्ल्यू, जिला वाराणसी–221004, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
224.	बालाजी सामाजिक उत्थान समिति, 25/45, गांधी नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
225.	संकल्प सेवा संस्थान, मोहल्ला पचघरा, तहसीला फतेहपुर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
226.	आस्था वेल्फेयर सोसाइटी, शर्मा कंम्पलेक्स, 5/81, मादिया कटरा, आगरा, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
227.	बाल एवं महिला कल्याण समिति, 80, इस्माइल गंज, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
228.	वॉइस, मार्फत श्री आर के मिश्रा, 568/केएचए/185, गीतापल्ली, आलम बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226005	एलएपी	₹ 30,000/-
229.	परपीचुअल रिकंस्ट्रक्टिव इंस्टिट्यूट फॉर यूथ एक्टिविटी (प्रिया), 141, कानन विहार, फेस 2, भुवनेश्वर–751031	एलएपी	₹ 30,000/-
230.	ध्रुव संस्थान (पंजी.), उत्तर प्रदेश, ग्राम एवं पोस्ट थुल्लई, हाथरस–204102	एलएपी	₹ 30,000/-
231.	माहीन सेवा संस्थान, जी–4, हाता रसूल खां, स्टेशन रोड, लखनऊ	एलएपी	₹ 30,000/-
232.	आचार्यजी महासमिति, गांव गोनारपुर (अजायब टोला), पोस्ट रामपुर गोपालपुर, जिला गोरखपुर	एलएपी	₹ 30,000/-
233.	श्याम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गांव इमलिया, मिसिर, पी ओ खोरहंसा, गोंडा, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
234.	ग्रामीण शिक्षा परिसर, गांव बहादुर, पोस्ट बहादुर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
235.	डॉ. अम्बेडकर समिति, गांव और पोस्ट सलेमपुर, जनपद महामाया नगर, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
236.	अन्नपूर्णा ग्रामोद्योग मण्डल, बी–499, आवास विकास कालोनी, सिविल लाइंस, बदायुं–243601 (उ.प्र.)	एलएपी	₹ 30,000/-
237.	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एजूकेशन सोसाइटी, गांव गालिबपुर, पोस्ट बुद्ध गांव, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
238.	विशाल सेवा संस्थान, गांव जमालपुर, पोस्ट सहवार, जिला कांशीराम नगर, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
239.	सुप्रभात मानव विकास संस्थान, 25–ए, अहमद रोड, निकट खुशबू नर्सिंग होम, घंटा घर, जिला मेरठ–250002 (उत्तर प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
240.	महिला आर्थिक, सांस्कृतिक शैक्षिक विकास संस्थान, अशोक विहार कालोनी, फेस 1, ई–59, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221007	एलएपी	₹ 30,000/-
241.	सरस्वती शिक्षा प्रसार समिति, गांव एवं पोस्ट – गरह कासदा, तहसील चक्रनगर (इटावा), उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
242.	एक्टिविटीज ऑफ वोलंटरी एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्युमैनिटी, 86/32, सरोजनी देवी लेन, मकबूल गंज, लखनऊ	एलएपी	₹ 60,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
243.	मैकनेल कॉस्मेटिक्स वेल्फेयर सोसाइटी, एचआईजी कालोनी के पीछे, झूसी, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
244.	मां द्रोपदी जन सेवा समिति, खेदोपुर कोइर्रोना, एसआरएन भदोही, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
245.	जन उदय फाउंडेशन, नई मंडी, बड़ौत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
246.	परिवर्तन आदर्श महिला संस्थान, तिलिया कोट, रायबरेली (पानी की टंकी के निकट), उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
247.	महिला सेवा संस्थान, ईएस–1/482, सेक्टर–ए, सीतापुर रोड, योगना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
248.	नाविक 'नेशनल एसोसिएशन फॉर वोलंटर इनिशिएटिव एंड कोऑपरेशन' स्पिनिंग मिल, सिद्दीकपुर, जौनपुर	एलएपी	₹ 60,000/-
249.	सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान, सुमित्रा कॉटेज, रथ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 60,000/-
250.	अमृत महिला कल्याण समिति, मकान सं.79–के, नई बस्ती, बाबूगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
251.	खादी एवं ग्रामोद्योग विकास समिति, छर्रा, अलीगढ़–202130, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 60,000/-
252.	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, विष्णुपुरी, हाथरस, जनपद महामायानगर, उत्तर प्रदेश–204101	एलएपी	₹ 60,000/-
253.	भारतीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, के–58/78, बड़ा गणेश, मैदागिन, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
254.	भारतीय महिला कल्याण समिति, 167/503, पुष्प निवास, लखपीरा बाग कालोनी, जिला बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) – 225001	एलएपी	₹ 30,000/-
255.	श्री गणेश प्रशाद स्मारक सेवा संस्थान, 330/148, आदर्श विहार कालोनी, कल्याणपुर (पश्चिम), जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश–225001	एलएपी	₹ 30,000/-
256.	मॉडर्न शिक्षा विकास समिति, बीएल–93, दीन दयाल नगर, मुरादाबाद	एलएपी	₹ 30,000/-
257.	श्री सरदार सेवा संस्थान, 96, अम्बेडकर नगर, रोडवेज वर्कशाप के पीछे, एटा, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 60,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
258.	भारतीय किसान कल्याण समिति, 216, ए बी नगर, जिला उन्नाव (उत्तर प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
259.	मानव समाज सेवा संस्थान, 130/571, आजाद नगर, बाकरगंज, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
260.	अजय ग्रामोद्योग सेवा समिति, ग्राम रामगढ़, पोस्ट इमलिया, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
261.	डॉ. अम्बेडकर एमईएंडआरडी सोसाइटी, परसिया जयरामगिरि, पोस्ट परसिया, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
262.	कामिनी महिला सेवा संस्था, 65, आजाद रोड, भरथाना, इटावा, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
263.	सूर्य (एक सामाजिक कल्याण संघ), लखनऊ, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 60,000/-
264.	आदर्श ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उरई, जालोन, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
265.	काशी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, कबीर चौड़ा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
266.	आइसा वेल्फेयर सोसाइटी, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	एलएपी	₹ 30,000/-
267.	ग्राम नियोजन आश्रम, छर्रा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
268.	चौब सिंह शिक्षा समिति, ग्राम एवं पोस्ट दादोन, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
269.	बजरंग ग्रामोद्योग संस्थान, गौतम नगर, सदाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
270.	वोलंटरी एसोसिएशन फॉर दॅ डेवलपमेंट ऑफ दॅ हिल्स ऑफ उत्तरांचल, पुरानी अकबरी, रानीखेत–263645, उत्तराखण्ड	एलएपी	₹ 80,000/-
271.	अम्बेडकर ग्रामोद्योग ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट मुयाल गांव, तहसील घसाली, जिला टिहरी, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)	एलएपी	₹ 40,000/-
272.	हिमालयन महिला एवं जनजातीय हस्तशिल्प विकास समिति, रेलवे स्टेशन के निकट, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	एलएपी	₹ 40,000/-
273.	मल्लबपुर पीपल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, गांव मल्लबपुर, पी ओ उरेल चांदपुर, थाना मगराहट, पश्चिम बंगाल	एलएपी	₹ 30,000/-
274.	वूमेन एसोसिएशन फॉर राइट्स एंड डेवलपमेंट, मार्फत सैय्यद हबीबुर्रहमान (फ्लैट), पी ओ कटजुरिडांगा, जिला बांकुरा, पश्चिम बंगाल–722102	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
275.	ऑनवार्ड, 15, बी, रखालदास ओडी रोडी, तीसरी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700027	एलएपी	₹ 30,000/-
276.	दुर्बाचाति नवरंग संघ, गांव दुर्बाचाति, तीसरा खण्ड, पोस्ट – पश्चिम सुरेंद्रनगर, जिला दक्षिणी चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल	एलएपी	₹ 60,000/-
277.	नवीन संघ, ग्राम एवं पोस्ट – बानेश्वरपुर, पी एस उस्ति, जिला चौबीस परगना–743375, पश्चिम बंगाल	एलएपी	₹ 60,000/-
278.	नूरपुर स्वर्ण प्रभात समिति, गांव शिमला, पी ओ माथुर, थाना – डायमंड हार्बो, जिला दक्षिणी चौबीस परगना,–743368, पश्चिम बंगाल	एलएपी	₹ 30,000/-
279.	मल्लबपुर पीपल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, गांव मल्लबपुर, पोस्ट उरेल चांदपुर, थाना मगराहट, जिला दक्षिणी चौबीस परगना–743355, पश्चिम बंगाल	एलएपी	₹ 60,000/-
280.	सोनारपुर – मथुरापुर परिवेश संरक्षण संस्था, 358, आरजी पल्ली, पी ओ और पी एस सोनारपुर, कोलाकाता, पश्चिम बंगाल	एलएपी	₹ 60,000/-

अनुलग्नक–VI

पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए)

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	पुष्पा महिला कल्याण संस्थान, 241/8, शिवलोक कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
2.	श्रीमती चंद्रा कुमारी शिक्षा समिति, 41, जयंती पुर, इलाहाबाद–211003, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
3.	स्वर्णिम संस्थान, 568/14, कैलाशपुरी 'ए', आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
4.	भारतीय किसान कल्याण समिति, ए बी नगर, उन्नाव–209801, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
5.	श्री आनंद विकास समिति, 4/317, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
6.	चांद तालीमी सोसाइटी, मौज़ा बरुआ, अमेठी, गोसाइंगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
7.	सूर्य विकास समिति, 7, नगर निगम मार्किट, दारुल सफा के सामने, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
8.	डॉ. खुर्शीद जहां, गर्ल्स इंटर कॉलेज, 4–ए/58, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-

अनुलग्नक–VII

उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	वूमेन वेल्फेयर एंड एजूकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला सोनीपत (हरियाणा)	"नेतृत्व हेतु नया आयाम सृजित करते हुए भारत में पंचायतों में महिलाओं की भूमिका : हरियाणा राज्य का विशेष संदर्भ" विषय पर आयोजित दो–दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
2.	सन्मति सोशल समिति, उत्तरी राज मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश	महिला पंचायत सदस्य/सरपंच को शिक्षित करने के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
3.	मासूम सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज, कबूतरों का चौक, जोधपुर (राजस्थान)	"राजस्थान के गांवों में महिला साक्षरता का प्रभाव" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
4.	पल्स वेल्फेयर सोसाइटी, जिला संबलपुर, उड़ीसा	"जिला संबलपुर, उड़ीसा में महिला शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
5.	विज्ञान एजूकेशनल सोसाइटी, जिला वारंगल (आंध्र प्रदेश)	"आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में निःशक्तता की शिकार महिलाएं" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
6.	वेंकटेश बहु–उद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक मण्डल, लातूर, महाराष्ट्र	"तालुक औसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र में पंचायत में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
7.	विद्या कला संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	"महिला अधिकार" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
8.	ग्रासरूट, माओखार मेन रोड, सेंगखासी हॉल के सामने, शिलांग (मेघालय)	"परंपरागत बुनकर" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 40,000/-
9.	ज्ञान सुधा एजूकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	"प्रजननात्मक और मातृ स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
10.	कुमारसा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल	"पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में बाल विवाह" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
11.	मासूम सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज, जोधपुर (राजस्थान)	"जोधपुर में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 60,000/- 2 कैम्प
12.	वूमेन डेवलपमेंट एंड एजूकेशनल सोसाइटी, जिला सोनीपत, हरियाणा	"नेतृत्व हेतु नया आयाम सृजित करते हुए भारत में पंचायतों में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
13.	महिला शिशु स्वास्थ्य एवं उत्थान समिति, गांव अहीरका, हरियाणा	"कार्यस्थल पर महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याएं और चुनौतियां" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
14.	वात्सल्य समिति, हाथरस (उत्तर प्रदेश)	"बागपत में महिलाओं को उत्पीड़न के संबंध में उन्हें जागरूकता और परामर्श उपलब्ध कराना	₹ 30,000/-
15.	तरंगिणी सोशल सर्विस सोसाइटी (आंध्र प्रदेश)	"आंध्र प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़छाड़" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
16.	मानव कल्याण विद्यापीठ संस्थान, जयपुर (राजस्थान)	"महिलाओं के साथ हिंसा" विषय पर कार्यशाला का आयोजन	₹ 24,840/-
17.	मॉडर्न शिक्षा विकास समिति, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	"पीतल उद्योग में कार्य कर रहे मजदूर : स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की संभावना" विषय पर आयोजित एक–दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
18.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ वेल्फेयर, शिवाजी नगर, नागपुर	"घरेलू और लिंग–आधारित हिंसा" विषय पर गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला का आयोजन	₹ 30,000/-
19.	एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन सोशियो–इकोनमिक एक्टिविटी, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा	सुंदरगढ़ जिले में जनजातीय महिला काश्तकारों के उत्पीड़न के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-
20.	जागरूक महिला संस्थान 'परचम', सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	"बालिका भ्रूण हत्या विषय" पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-
21.	श्री सागस महाराजा शिक्षण एवं सामाजिक विकास समिति, विकास नगर, नीमच, मध्य प्रदेश	"बनछारा समुदाय में विद्यमान सामाजिक बुराइयां: विचार–विमर्श एवं समाधान" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
22.	लक्ष्मी महिला एवं सामाजिक विकास समिति, कल्याण भवन, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	"शराब का सेवन और घरेलू हिंसा" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-
23.	एजूकेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट सोसाइटी, 2/77, मेधाकोइल स्ट्रीट, शांगाऊ (गांव), विल्लापुरा, तमिलनाडु	"बाल विवाह और इसके प्रभाव" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-
24.	सेवा संघ, कंतलफुल्ली, पोस्ट ऑफिस काखना, ब्लॉक फाल्टा, जिला चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल	"पश्चिम बंगाल में घरेलू हिंसा" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-
25.	सांत्वनम सोशल सर्विस एजूकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, चेम्बरामाहे, पांडिचेरी	"महिला सशक्तीकरण" पर सम्मेलन	₹ 30,000/-
26.	लीविंग वाटर फॉर डाइंग सोल्स इन इंडिया, क्रिश्चियन चेरिटेबल ट्रस्ट, द्वारकापुरी, नई दिल्ली	"नई दिल्ली के झुग्गी–झोपड़ी इलाकों में बालिका भ्रूण हत्या" के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 45,500/-
27.	अखिल मानव सेवा परिषद्, नई दिल्ली	"बालिका शिशु को महत्त्व देना – लिंग चयनात्मक गर्भपात" विषय पर दो–दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन	₹ 46,500/-
28.	नव राजीव फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर सोसाइटी, जयपुर, राजस्थान	"महिला सशक्तीकरण – बाडमेर, राजस्थान में महिलाओं को आजीविका के धारणीय साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना" विषय पर कार्यशाला का आयोजन	₹ 60,000/-
29.	नेताजी मेमोरियल क्लब, केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	"केंद्रपाड़ा, जिला उड़ीसा में कृषि क्षेत्र में महिलाओं के प्रौद्योगिकीय सशक्तीकरण" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-

अनुलग्नक–VIII

उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	संजीवनी सोसाइटी, उदयपुर (राजस्थान)	"दलित महिला" विषय पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम	₹ 30,000/-
2.	श्री महाराणा प्रताप शिक्षा विकास समिति (उत्तर प्रदेश)	"ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और आजीविका विकास" विषय पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम	₹ 30,000/-
3.	अरावली इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जयपुर (राजस्थान)	"ग्रामीण महिलाओं पर अत्याचार" विषय पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम	₹ 60,000/-

अनुलग्नक–IX

उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राज्य/क्षेत्र स्तर/राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

राज्य स्तर के सेमिनार

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	राजनीति विज्ञान विभाग, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय (असम)	"पूर्वोत्तर भारत में लैंगिक विषमता, शांति और संघर्ष से संबंधित समस्याएं" विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
2.	जागृति जन कल्याण समिति (बिहार)	"भारत में घटते लिंग अनुपात (बालिका भ्रूण हत्या के कारण)" विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
3.	सर्वोदय समग्र विकास एवं संचार संस्थान, बांसवाड़ा (राजस्थान)	"बांसवाडा जिले में भ्रूण के लिंग चयन/ लिंग निर्धारण की समस्या" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला	₹ 1,00,000/-
4.	पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ स्ट्डीज इन रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	"मातृ स्वास्थ्य सेवाएं : भारत में एक चुनौती" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
5.	मणिपुर राज्य महिला आयोग (मणिपुर)	"मणिपुर में सशस्त्र संघर्ष का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन	₹ 1,00,000/-
6.	जन कल्याण युवक संघ, जिला बोलंगीर (उड़ीसा)	"ईंट के भट्ठों और भवन निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की समस्या" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 91,800/-
7.	प्रधानाचार्य का कार्यालय, एम पी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौडगढ़	"स्वयंसेवा समूह के माध्यम से महिला सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
8.	न्यू विज़न क्रिएटिव सोसाइटी, असम	"असम में महिलाओं और बालिकाओं को भगा ले जाने" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
9.	उत्थान शोध संस्थान, गोविंद नगर, उदयपुर (राजस्थान)	"दक्षिण राजस्थान में स्व–शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं में क्षमता सृजन हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
10.	सहारा समाजसेवी संस्था, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)	"थियोग, हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं में उनके अधिकारों और संबंधित नीतियों के बारे में जागरूकता" विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
11.	सेंटर फॉर वूमेन स्ट्डीज, डिब्रूगढ़, विश्वविद्यालय (असम)	"महिलाओं के मानवाधिकार : पूर्वोत्तर का संदर्भ" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
12.	अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड, पटना (बिहार)	"राजनीति में महिलाओं की भूमिका" विषय पर पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
13.	द्रोपदी ट्रस्ट, नई दिल्ली	"लैंगिक समानता और संवेदीकरण हेतु जनसंचार के साधनों और विभिन्न संचार माध्यमों के अग्रसक्रिय और प्रभावी उपयोग संबंधी नीति" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
14.	मैत्री, जे–92, एआरडी कंम्पलेक्स, आरके पुरम, नई दिल्ली	"घरेलू हिंसा और परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण पर इसका प्रभाव" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
15.	न्यू मिलेनियम इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, नई दिल्ली	"अंबाला में दुर्व्यापार की शिकार घरेलू महिलाएं" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
16.	ऑल इंडिया कोणार्क एजूकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, नई दिल्ली	"कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" विषय पर सेमिनार	₹ 1,00,000/-
17.	ग्रामीण विकास समिति, झज्जर (हरियाणा)	"एचआईवी/एड्स के संबंध में जागरूकता और निवारण" विषय पर सेमिनार	₹ 1,00,000/-
18.	वीएएमआईटी एजूकेशनल ट्रस्ट, शिमला (हिमाचल पद्रेश)	"पंचायती राज संस्थाओं, स्व–सेवा समूहों और सूक्ष्म ऋण स्कीमों में महिलाओं की भूमिका" विषय पर सेमिनार	₹ 1,00,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
19.	परिक्रमा महिला समिति, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	"अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के कमजोर वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
20.	आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, मुंबई	"भारत में मातृ मृत्यु दर – इसका सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य और भारतीय संदर्भ में पूर्वानुमान" विषय पर एक वार्ता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 1,00,000/-
21.	पुद्दुचेरी महिला आयोग, नतेशन नगर, पुद्दुचेरी	"परामर्श की कला" विषय पर सरकारी पालिटेक्निक शिक्षकों हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला	₹ 1,00,000/-
22.	रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, जयपुर (राजस्थान)	"अजमेर, राजस्थान में महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए नीतियों और स्कीमों की समीक्षा" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
23.	अखण्ड, पी ओ सिद्धी आश्रम, अगरतला (त्रिपुरा)	"अगरतला, जिला पश्चिम त्रिपरा में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उस पर रोक लगाने के लिए विद्यमान कानून" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
24.	संत राम वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सेवा समिति (उत्तर प्रदेश)	"महिला अधिकार" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
25.	चौ. चरण सिंह ग्रामोद्योग संस्थान, हाथरस (उत्तर प्रदेश)	"घरेलू हिंसा अधिनियम – गांव मण्डल में महिलाओं का संरक्षण" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
26.	महिला जागृति समिति, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)	"बालिका भ्रूणहत्या" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
27.	समाहर्तालय, सवाई माधोपुर (राजस्थान)	"बाल विवाह और महिला संरक्षण अधिनियम" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला	₹ 1,00,000/-
28.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, मेघालय	"कानूनी अधिकार" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
29.	पुद्दुचेरी महिला आयोग, पुद्दुचेरी	"परामर्श की कला" विषय पर पुद्दुचेरी के विभिन्न सरकारी विभागों के कल्याण अधिकारियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
30.	मानव जागृति समिति, सी–8/293, यमुना विहार, दिल्ली	"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घटते लिंग अनुपात (बालिका भ्रूणहत्या के कारण)" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला	₹ 1,00,000/-
31.	ह्युमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	"महिलाओं के साथ अपराध, उन्हें तंग करना, छेड़छाड़, यौन दुराचार और कानून" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
32.	एसबीएस फाउंडेशन, नई दिल्ली	"अनिवासी भारतीयों से विवाह के मामले में महिलाओं का उत्पीड़न से संरक्षण" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
33.	पूजा वेल्फेयर सोसाइटी, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर	अभिनव थियेटर, जम्मू में "भारत में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा पर रोक लगाने में मीडिया की भूमिका" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
34.	एसपीईईएस, जमशेदपुर (झारखंड)	"जमशेदपुर, झारखंड में वन्य भूमि पर जनजातीय महिलाओं के अधिकार" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
35.	परिक्रमा महिला समिति, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	"जनजातीय महिलाएं और राजनीति में उनकी भागीदारी" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
36.	पंकज बहु–उद्देश्यीय शिक्षण संस्थान, भंडारा (महाराष्ट्र)	"भंडारा जिला, महाराष्ट्र में गैर–सरकारी संगठनों और पुलिस अधिकारियों को परामर्श प्रदान करने हेतु" सेमिनार	₹ 1,00,000/-
37.	श्री रोकेदेश्वर शिक्षण प्रसारक मण्डल, नांदेड – वाघला (महाराष्ट्र)	"बाल विवाह निषेध" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
38.	जीजामाता बहु–उद्देश्यीय महिला मण्डल, सावरी, लातूर (महाराष्ट्र)	"कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न" विषय पर सेमिनार	₹ 1,00,000/-
39.	प्रिया, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	"जनजातीय जिलों में वन्य भूमि पर जनजातीय महिलाओं के अधिकार" विषय पर सेमिनार	₹ 1,00,000/-
40.	पुष्पांजलि कल्चरल एसोसिएशन, बोलंगीर (उड़ीसा)	बोलंगीर जिला, उड़ीसा में राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
41.	शिवचरण माथुर, उदयपुर (राजस्थान)	निर्वाचित महिला सरपंचों की "लैंगिक समानता और विकास" विषय पर सोच के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यशाला	₹ 1,00,000/-
42.	पब्लिक वेल्फेयर सोसाइटी, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में एचआईवी/एड्स के संबंध में जागरूकता और निवारण	₹ 1,00,000/-
43.	श्री माता प्रसाद स्मारक सेवा संस्थान, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में "घटता लिंग अनुपात, बालिका भ्रूणहत्या" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
44.	महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)	महाशक्ति महिला सम्मेलन के दौरान "महिला अधिकार और सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित सेमिनार का आयोजन	₹ 1,00,000/-
45.	समाज सेवा समिति, रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	"घटते लिंग अनुपात, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति, बाल विवाह और इसके दुष्परिणाम, हस्तशिल्प, कसीदाकारी में महिलाओं की दशा, हथकरघा बुनाई क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका" विषय पर सेमिनार	₹ 1,00,000/- प्रत्येक

क्षेत्र स्तरीय सेमिनार

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में "गर्भधारण–पूर्व ओर प्रसव–पूर्व नेदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 का क्रियान्वयन और कार्यकरण" विषय पर क्षेत्रीय सेमिनार	₹ 2,00,000/-
2.	राजनीति विज्ञान विभाग, मगध महिला महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)	"महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और अत्याचार" विषय पर आयोजित दो–दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार	₹ 2,00,000/-

राष्ट्र स्तरीय सेमिनार

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	अखिल भारत रचनात्मक समाज, गांधी आश्रम, नई दिल्ली	रजत जयंती समारोहों के दौरान महिला अधिकारों पर एक–दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन	₹ 3,00,000/-
2.	अकादमी ऑफ ग्रासरूट स्ट्डीज एंड रिसर्च ऑफ इंडिया, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	भारत में आधार स्तरीय आयोजना और स्थानीय प्रशासनिक संस्था : वर्ष 1992 के बाद से की गई नीतिगत पहलें और लोगों की भागीदारी	₹ 3,00,000/-
3.	विधि संकाय, कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल (जम्मू एवं कश्मीर)	तीन–दिवसीय अखिल भारतीय अपराधविज्ञान सम्मेलन	₹ 3,00,000/-
4.	ऑल इंडिया फाउंडेशन फॉर पीस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, नई दिल्ली	"महिला, पर्यावरण शिक्षा और जलवायु परिवर्तन" विषय पर राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन	₹ 3,00,000/-
5.	यूजीसी सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, उदयपुर (राजस्थान)	"लैंगिक असमानता और कार्य की बदलती दशाएं तथा स्वास्थ्य" विषय पर सम्मेलन	₹ 3,00,000/-

अनुलग्नक–X

उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	पूर्वी उत्तर की जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों की दशा पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 3,05,000/-
2.	सुश्री प्रियंका भारद्वाज, 1–3/100, सेक्टर 16, रोहिणी, दिल्ली–110079	हिमाचल प्रदेश में अकेली रह रही महिलाओं की स्थिति पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,60,400/-
3.	ग्लोबल स्टडी सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, 303, अखिल अपार्टमेंट्स, आईएस महल थियेटर, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या तथा महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों पर इसका प्रभाव	₹ 1,56,450/-
4.	शक्तिवाहिनी, एच–11, द्वितीय तल, हडसन लाइंस, किंग्सवे कैम्प, नई दिल्ली	हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,07,375/-
5.	डॉ. डेजी बोरा तालुकदार, निदेशक, सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़–786004, असम	प्राकृतिक और विकास प्रेरित विस्थापन के विशेष संदर्भ में महिलाओं पर विस्थापन का प्रभावः असम के डिब्रूगढ़ जिले के संबंध में एक अनुसंधान अध्ययन आयोजित करना	₹ 2,35,200/-
6.	प्रो. विजयलक्ष्मी चौहान, निदेशक, यूजीसी सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, एमएल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	"उदयपुर और चित्तौडगढ़ प्रमंडल में लिंग–आधारित भेद–भाव के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलू" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,13,000/-
7.	ऑल इंडिया फाउंडेशन फॉर पीस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, 2, शिवम अपार्टमेंट, दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में "भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के जरिए आपदा से निपटने के संबंध में तैयारी में महिलाओं की भूमिका" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 5,35,000/-
8.	श्रीमती एस के मारक, अध्यक्षा, मेघालय राज्य महिला आयोग, लोअर लाचुमियर, शिलांग, मेघालय	"मेघालय में महिलाओं के साथ अपराध" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 3.05,550/-
9.	श्रीमती पूनम, सचिव, नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर फॉर सोसाइटी, 25, श्याम विहार, चौरदिया पेट्रोल पंप के पीछे, सांगानेर, राजस्थान–302029	"राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में घटते लिंग अनुपात" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 1,99,500/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
10.	फादर ए पैथ्रोस, अध्यक्ष, रूरल एजूकेशन वर्किंग सोसाइटी, नंबर 1128ए, प्रथम तल, पहली गली, तेंड्रल नगर, वेंगिक्कल, तिरुवन्नामलाई–606604, तमिलनाडु	तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में "बालिका भ्रूणहत्या (घटते लिंग अनुपात का कारण)" विषय पर आयोजित किए जाने वाला अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,97,150/-
11.	अरावली इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, 297, टैगोर नगर, यशोधा पथ, अजमेर रोड, जयपुर–302024, राजस्थान	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और राजस्थान राज्य में ग्रामीण महिलाओं पर इसके प्रभाव विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 1,71,150/-
12.	सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, 2, नेल्सन मंडेला मार्ग, नई दिल्ली	"कोख किराये पर देना – नैतिक या वाणिज्यिक" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,52,790/-
13.	सुश्री शिवानी भारद्वाज, कार्यक्रम निदेशक, साथी ऑल फॉर पार्टनरशिप्स, मयूर विहार, फेज 1, नई दिल्ली	"संसाधनों में समानता के सिद्धांत को लागू करने में लैंगिक आधार पर भेदभाव" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 5,51,250/-
14.	एहसास फाउंडेशन, नई दिल्ली	राजस्थान में हस्तशिल्प और विशेषकर कसीदाकारी, वस्त्रनिर्माण, बांधनू साड़ी की रंगाई के कार्य में लगी महिलाओं की स्थिति और उनके काम की दशाओं के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,29,950/-
15.	एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, नई दिल्ली	भारतीय किसानों द्वारा आत्महत्याः ग्रामीण महिलाओं पर विपत्ति, अकिंचन, वैधव्य और सरकारी राहत तथा पैकेजों के प्रभाव से संबंधित अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,37,300/-
16.	दॅ रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट, रोहतक, हरियाणा	हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में पंचायतों में काम कर रही महिलाओं पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 1,98,450/-
17.	डॉ. एल एन दधीच, उदयपुर, राजस्थान	दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,35,200/-
18.	लोक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	झारखंड और मध्य प्रदेश में महिला विभाग द्वारा निर्मित स्व–सहायता समूहों के जरिए जनजातीय महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,33,100/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
19.	रूरल एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, जयपुर, राजस्थान	सवाई माधोपुर में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी और निर्णयन की प्रक्रिया में समान भूमिका के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	₹ 1,93,200/-
20.	शिवचरण माथुर, उदयपुर, राजस्थान	राजस्थान में महिला काश्तकारों की भूमिका और उनकी स्थिति के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,57,250/-

अनुलग्नक–XI

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन

प्रस्तावना

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में और आगे संशोधन करना।

इसे भारतीय गणराज्य के 61वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नवत अधिनियमित किया जाए:

(1) इस अधिनियम को स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2010 कहा जाए।

(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसका उल्लेख केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना में किया जाए।

1 : संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

परिभाषाएं:

(i) धारा 2(क) में संशोधन

धारा 2: परिभाषाएं	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध **अध्याय II: परिभाषाएं**	औचित्य
2 (क)	धारा 2(क) **"विज्ञापन"** में कोई भी सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज शामिल है और इसमें प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस का प्रयोग करके किया गया कोई भी दृश्य रूपण भी शामिल है।	**धारा 2 (क)** **"विज्ञापन"** में किसी माल, सेवा, स्थान, व्यक्ति के व्यय आदि के संबंध में प्रचार करने के प्रयोजनार्थ कोई भी सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज शामिल है और इसमें प्रकाश, जिसमें लेजर प्रकाश शामिल है, ध्वनि, धुआं, गैस, फाइबर आप्टिक, इलेक्ट्रानिक रूप या किसी अन्य माध्यम का प्रयोग करके किया गया कोई भी दृश्य रूपण भी शामिल है। **स्पष्टीकरण: "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का आशय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(द) में यथापरिभाषित रूप से है।**	अधिनियम के कार्यक्षेत्र और इसकी अनुप्रयोज्यता को विस्तृत करना

(ii) धारा 2(ग) में संशोधन

धारा 2: परिभाषाएं	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध **अध्याय II: परिभाषाएं**	औचित्य
धारा 2(ग)	"वितरण" में नमूनों के रूप में, चाहे निःशुल्क या अन्यथा किए गए वितरण शामिल हैं।	**धारा 2(ग)** **"वितरण"** का आशय वितरण हेतु प्रयुक्त सभी प्रकार की विधियों से है और इसमें नमूनों के रूप में, चाहे निःशुल्क या अन्यथा किए गए वितरण और वेबसाइटों पर उपलब्ध कराने जैसी विधियों द्वारा उन तक जनसाधारण की पहुंच उपलब्ध कराना शामिल हैं।	अधिनियम के कार्यक्षेत्र और इसकी अनुप्रयोज्यता को विस्तृत करना

(iii) धारा 2(घ) में संशोधन

धारा 2: परिभाषाएं	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध **अध्याय II: परिभाषाएं**	औचित्य
धारा 2(घ)	(ग) "स्त्री अशिष्ट रूपण" का अर्थ है महिला की आकृति, उसके शरीर की बनावट या उसके शरीर के किसी भाग को इस प्रकार प्रदर्शित करना कि उससे अशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता हो या जिससे महिला अपमानित या निंदित होती हो या जिसके कारण सार्वजनिक नैतिकता या आचरण के भ्रष्ट, दूषित या क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो।	धारा 2(घ) "स्त्री अशिष्ट रूपण" का अर्थ है – (i) महिला का यौन उपभोग की एक वस्तु के रूप में किसी भी प्रकार का **प्रदर्शन, प्रकाशन, संचारण** या जो कामोत्तेजक हो अथवा कामुकता को बढ़ावा देता हो; या (ii) महिला की आकृति, उसके शरीर की बनावट या उसके शरीर के किसी भी भाग का **किसी भी प्रकार से इस प्रकार प्रदर्शन, प्रकाशन, संचारण** करना कि उससे अशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता हो या जिससे महिला अपमानित या निंदित होती हो या जिसके कारण सार्वजनिक नैतिकता या आचरण के भ्रष्ट, दूषित या क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो।	अधिनियम के कार्यक्षेत्र और इसकी अनुप्रयोज्यता को विस्तृत करना

(iv) प्रस्तावित नई परिभाषा

धारा 2: परिभाषाएं	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध **अध्याय II: परिभाषाएं**	औचित्य
प्रस्तावित नई परिभाषा	—	धारा 2(ज) "प्रकाशन" का आशय है– तैयार करना, मुद्रित करना या किसी भी व्यक्ति को किसी पुस्तक, समाचारपत्र, पत्रिकाओं, पोस्टरों, ग्रैफिटो या आवधिक पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए वितरण करना या श्रव्य–दृश्य माध्यम जिनमें केबल, कंप्यूटर, ब्राडबैंड उपग्रह ट्रांसमिशन या किसी भी अन्य प्रकार की मुद्रित सामग्री शामिल है, का वितरण करना जिससे आम जनता में उनकी प्रतियां बांटकर या उस संबंध में किसी भी प्रकार से सूचना पहुंचाई जाती हो।	—

(iv) धारा 3 में संशोधन

धारा 3: परिभाषाएं	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध **अध्याय II: परिभाषाएं**	औचित्य
धारा 3	**धारा 3** **महिलाओं के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध** कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन जिसमें महिलाओं का किसी भी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो, को प्रकाशित नहीं करेगा, या प्रकाशित करने के लिए कारण नहीं बनेगा, या उसके प्रकाशन या प्रदर्शन हेतु व्यवस्था नहीं करेगा या ऐसी व्यवस्था में भागीदारी नहीं लेगा।	**धारा 3** **महिलाओं के अशिष्ट या अपमानजनक रूपण से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध** कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन जिसमें महिलाओं का **इलेक्ट्रनिक माध्यम द्वारा या किसी भी रूप में** अशिष्ट या अपमानजनक रूपण किया गया हो, को **प्रकाशित या प्रेषित नहीं करेगा, या प्रकाशित या प्रेषित करने** के लिए कारण नहीं बनेगा, या उसके प्रकाशन या प्रदर्शन हेतु व्यवस्था नहीं करेगा या ऐसी व्यवस्था में भागीदारी नहीं लेगा।	—

(v) धारा 4 में संशोधन

धारा 4	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध **अध्याय II: परिभाषाएं**	औचित्य
धारा 4	**महिलाओं के अशिष्ट रूपण से युक्त पुस्तकों, पैम्फलेटों, आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने पर निषेध** कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में महिलाओं के अशिष्ट रूपण से युक्त किसी पुस्तक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्मलेख, चित्र, आरेख, फोटो चित्र या आकृति को तैयार नहीं करेगा या उसे तैयार करने, विक्रय करने, किराए पर देने, वितरण करने, डाक से परिचालित करने या भेजने के लिए निमित्त अथवा साधन नहीं बनेगा।	**धारा 4 : महिलाओं के अशिष्ट रूपण से युक्त सामग्रियों के प्रकाशन, प्रेषण या वितरण का निषेध –** कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से महिलाओं के अशिष्ट रूपण से युक्त किसी सामग्री को तैयार नहीं करेगा, उसका प्रकाशन, प्रेषण नहीं करेगा या उसे तैयार करने, विक्रय करने, किराए पर देने, वितरण करने, डाक या **इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य साधन द्वारा** परिचालित करने या भेजने के लिए निमित्त अथवा साधन नहीं बनेगा। स्पष्टीकरण : सामग्री का आशय है कोई पुस्तक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, लेख, आरेख, चित्र, फोटो आदि।	अधिनियम के कार्यक्षेत्र का विस्तार "किसी अन्य साधन द्वारा" शब्दों का समावेश।

(vi) धारा 6 में संशोधन

धारा 6	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध	औचित्य
—	**शास्ति** – कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता हो, उसे दो वर्षों तक के कारावास का दंड और दो हजार रुपए तक का जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और यदि वह इन उपबंधों का दूसरी बार या उसके पश्चात भी उल्लंघन करता हो तो दोषसिद्ध होने पर उसे कम से कम छह माह के कारावास की सजा जिसे पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही कम से कम दस हजार रुपये तक का जुर्माना, जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता, द्वारा दंडित किया जा सकता है।	**शास्ति** – कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता हो, उसे दो माह जिसे **तीन वर्षों** तक बढ़ाया जा सकता है, तक के कारावास का दंड और **पचास हजार रुपए** तक का जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और यदि वह इन उपबंधों का दूसरी बार या उसके पश्चात भी उल्लंघन करता हो तो दोषसिद्ध होने पर उसे कम से कम छह माह के कारावास की सजा जिसे पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही कम से कम **पचास हजार रुपये** तक का जुर्माना, जिसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता, द्वारा दंडित किया जा सकता है।	—

नई धारा – व्यावृत्ति : उक्त अधिनियम के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

अनुलग्नक–XII

घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010

विधेयक का यथाप्रस्तावित प्रारूप निम्नवत है:

अध्याय एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

(क) इस अधिनियम को **घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010** कहा जाए।

(ख) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, पूरे भारत पर लागू होगा।

(ग) यह अधिनियम ऐसी घरेलू कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो रोजगार हेतु किसी अन्य देश में प्रवास कर गई हों।

यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिसका उल्लेख केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में की गई अधिसूचना में किया जाए।

2. **परिभाषाएं:** इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) **"उपयुक्त सरकार"** का आशय संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से है।

(ख) **"लाभभोगी"** का आशय इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक घरेलू कर्मचारी से है।

(ग) **"बालिका"** का आशय उससे है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(घ) **"केंद्रीय सलाहकार समिति"** का आशय इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति से है।

(ड.) **"जिला बोर्ड"** का आशय इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत घरेलू कर्मचारियों के लिए स्थापित जिला बोर्ड से है।

(च) **"घरेलू कर्मचारी"** का आशय ऐसी महिला से है जो घरेलू या उससे सम्बद्ध कार्यों को करने के लिए अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर अस्थायी या **संविदा** आधार पर या स्थायी तौर पर किसी एजेंसी के माध्यम से या सीधे संपर्क करके किसी घर या इस प्रकार की "किसी अन्य स्थापना" में नकद भुगतान या किसी वस्तु के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए रोजगार में लगी हो और इसमें **"प्रतिस्थापित कर्मचारी" जो मुख्य कर्मचारी के साथ की गई सहमति के अनुसार किसी अल्पकालिक अवधि या किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान मुख्य कर्मचारी के स्थान पर एवजी के रूप में कार्य कर रही हो,** शामिल है।

स्पष्टीकरण: घरेलू और संबद्ध कार्यों में भोजन पकाना या इससे संबंधित कोई कार्य करना, कपड़े या बर्तन साफ करना, घर की साफ–सफाई या झाड़ू–पोछा करना, वाहन चलाना, बच्चों/बीमारों/वृद्ध व्यक्तियों, मानसिक रूप

से विकल व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों की देखभाल करना/ उनकी सुश्रुषा करना जैसे कार्य शामिल हैं किंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(छ) **"घरेलू कर्मचारी कल्याण निधि"** का आशय अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत सृजित निधि से है।

(ज) "नियोजक" का आशय ऐसे व्यक्ति, प्राधिकारी, प्रबंधन से है जो घरेलू कर्मचारी को घर के भीतर अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी के माध्यम से काम पर रखता है और जिसका घर के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हो और इसमें ऐसा कोई अन्य व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसे परिवार से संबंधित मामले सौंपे जाते हों तथा संविदा श्रमिक के संबंध में प्रमुख नियोजक भी इसकी परिधि में शामिल है।

(झ) **"अधिसूचना"** का आशय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है।

(ट) **"सेवा प्रदाता"** का आशय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी स्वैच्छिक एसोसिएशन या कंपनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत किसी कंपनी से है जो घरेलू कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य करता है और/ या घरेलू कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करता है या घरेलू कर्मचारियों को रोजगार पर लगाता है और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का एसोसिएशन या स्थापन एजेंसी शामिल है जो पंजीकृत हो अथवा नहीं हो किंतु जिसके माध्यम से ऐसी कोई कर्मचारी मुख्य नियोजक के साथ घरेलू कार्य में लगाई गई हो।

व्याख्याः "स्थापन एजेंसी" का आशय ऐसी किसी भी एजेंसी/ब्यूरो/व्यक्तियों का संविदाकार या एसोसिएशन या संगठन से है जो पंजीकृत हो या नहीं हो किंतु घरेलू कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करता हो या घरेलू कर्मचारियों को रोजगार पर लगाता हो और जो भावी नियोजकों के लिए घरेलू कर्मचारियों के स्थापन में सहायता करता हो और इसमें ऐसी एजेंसी या व्यक्ति शामिल हैं जो किसी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या समाचार के किसी अन्य साधन के जरिए ऐसी सेवाओं की पेशकश करता हो।

(ठ) **"राज्य बोर्ड"** का आशय घरेलू कर्मचारियों के लिए अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत गठित राज्य परामर्शदात्री समिति से है।

(ड) **"कार्यस्थल"** का आशय ऐसे किसी घर से है जहां घरेलू कर्मचारी कार्य करती हो।

व्याख्याः घर का आशय ऐसे किसी भी आवासीय स्थान से है जहां घरेलू कर्मचारी कार्य करती हो।

(च) "मजदूरी" का आशय ऐसे सभी पारिश्रमिकों से है जिनका धन के रूप में उल्लेख किया गया हो या जिनका रोजगार की संविदा में उल्लिखित या निहित शर्तों के अनुपालन पर घरेलू कर्मचारी को उसके कार्य के एवज में भुगतान किया जाए किंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैः

(i) निवास हेतु उपलब्ध कराया गया आवासीय स्थान, बिजली, पानी, चिकित्सीय सुविधा या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई कोई सुविधा या मजदूरी का मूल्य।

(ii) नियोजक द्वारा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि या किसी अन्य स्कीम या सामाजिक बीमा के लिए भुगतान की गई कोई राशि और उस पर अर्जित ब्याज की राशि।

(iii) किसी यात्रा भत्ता या यात्रा रियायत का मूल्य।

(iv) घरेलू कर्मचारी को उसके रोजगार की प्रकृति के कारण उसके द्वारा किए जाने वाले विशेष व्यय को पूरा करने के लिए उसे प्रदत्त कोई राशि।

3. यह अधिनियम अन्य कानूनों या अधिनियमों पर न्यूनकारी प्रभाव आरोपित नहीं करता

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, और उन पर कोई भी न्यूनकारी प्रभाव आरोपित नहीं करेंगे।

अध्याय दो
अधिनियम के अंतर्गत क्रियान्वयन प्राधिकारी

4. केंद्रीय सलाहकार समिति

(1) केंद्र सरकार एक समिति का गठन करेगी जिसे **केंद्रीय सलाहकार समिति** कहा जाएगा (जिसे इसके पश्चात केंद्रीय समिति कहा गया है)।

(2) केंद्रीय समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः

(क) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत संख्या में सदस्य जिनमें घरेलू कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध एसोसिएशन, यूनियन या व्यक्ति, श्रम मामलों से संबंधित समस्याओं, महिला एवं बाल विषयक समस्याओं, विधि और केंद्र सरकार की राय में ऐसा कोई भी मामला जिस संबंध में केंद्रीय बोर्ड में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, के क्षेत्र में अनुभवप्राप्त व्यक्ति शामिल होंगे।

परंतु यह भी कि समिति में अध्यक्ष को छोड़कर, कम से कम पांच सदस्य सम्मिलित होंगे।

(1) उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों से सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, समिति में पदाधिकारियों का कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग में लाई गई कार्यविधि और रिक्तियों को भरने के तरीके निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

5. केंद्रीय समिति के कार्य

केंद्रीय समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगीः

(क) अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा और उसका मानीटरन करना तथा उक्त अधिनियम और नियमों में किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश करना;

(ख) राज्यों में इस अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा और मॉनीटरन;

(ग) राज्य बोर्डों को घरेलू कर्मचारियों के लाभ और कल्याण हेतु स्कीमों जैसेकि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य लाभकारी स्कीमों के संबंध में सलाह देना;

(घ) घरेलू कर्मचारियों और नियोजकों के किसी विशिष्ट वर्ग को इस अधिनियम को लागू किए जाने के कारण उत्पन्न मामलों या इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किसी स्कीम या इस अधिनियम के उपबंधों को लागू किए जाने के संबंध में सलाह देना और विभिन्न बोर्डों के कार्य का समन्वयन और मानीटरन;

(ड.) राज्य बोर्डों से परामर्श करके कार्य की समुचित दशाओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना;

(च) किसी भी प्रकार के दुर्व्यापार/बेगारी/बंधुआ श्रम और 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के मामले में बाल श्रम के निराकरण हेतु उचित कार्यनीतियों के संबंध में सिफारिश करना;

(छ) केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य कोई भी मामला।

6. राज्य सलाहकार समिति

(1) राज्य सरकार घरेलू कर्मचारियों और नियोजकों को इस अधिनियम को लागू किए जाने के कारण उत्पन्न मामलों या इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किसी स्कीम या इस अधिनियम के उपबंधों को लागू किए जाने के संबंध में सलाह देने के लिए या विभिन्न बोर्डों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने और राज्य सरकार द्वारा सलाह हेतु संदर्भित मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेगी।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और इनकी संख्या उतनी होगी और इनका चयन उस प्रकार से किया जाएगा जैसाकि विहित किया जाए:

यह भी कि, इस सलाहकार समिति में नियोजकों, घरेलू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या इसके सदस्यों की कुल संख्या की एक–तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(3) सलाहकार समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होगा जिसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(4) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में इस सलाहकार समिति के सभी सदस्यों के नाम प्रकाशित करेगी।

(5) सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन और उन बैठकों में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि विनियम द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी।

(6) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

(7) सलाहकार समिति के सदस्य (जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य न हो) समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए निर्धारित की गई दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

7. राज्य सलाहकार समिति के कार्य

राज्य बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेंगे:

(क) बोर्ड/राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सभी या इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी मामले के लिए, और सामान्यतः ऐसे सभी मामलों के लिए जिसके लिए उपबंध दिए गए हैं, विनियम बनाकर जो इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित किए गए नियमों से संगत विनियम होंगे, जिन्हें बोर्ड की राय में इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में और अपने कार्यों के निर्वहन में आवश्यक समझा जाए।

(ख) राज्य के लिए गठित किए गए जिला बोर्ड के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करना तथा इसके उचित और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाना।

(ग) जिला बोर्ड को निधियां आबंटित करना तथा घरेलू कर्मचारी कल्याण निधि का संचालन करना और जिला बोर्डों को आवश्यक समझे जाने वाली राशि का आबंटन करना।

(घ) नियोजकों, सेवा प्रदाताओं/स्थापन एजेंसियों तथा घरेलू कर्मचारियों से लिए जाने वाले शुल्क को समय–समय पर निर्धारित करना।

(ड.) इस निधि के लाभभोगियों के लिए निधि के अंतर्गत लाभभोगियों के रूप में पंजीकरण हेतु शुल्क और प्रति माह दर को निर्धारित करना।

(च) केंद्र सरकार के परामर्श से तैयार की गई स्कीमों और कल्याणकारी उपायों को क्रियान्वित करना।

(छ) निधि के अंतर्गत घरेलू कर्मचारियों के पंजीकरण हेतु रखे जाने वाले रजिस्टर की किस्म निर्धारित करना।

(ज) पंजीकरण प्रमाण–पत्र के नवीकरण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना।

(झ) जिला बोर्ड द्वारा किसी भी निर्णय के संबंध में की गई अपीलों पर कार्रवाई करना।

(ञ) पारिश्रमिक की दरों, कार्य के घंटों और कार्य की दशाओं सहित सेवा की समुचित दशाएं सुनिश्चित करना।

(ट) यथानिर्धारित अन्य कोई भी कार्य।

8. जिला बोर्ड

(1) राज्य सरकार जिले में घरेलू कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्कीमों को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित संख्या में "जिला घरेलू श्रमिक कल्याण बोर्ड" नामक बोर्डों का गठन करेगी:

यह भी कि, राज्य सरकार ऐसे बोर्डों का गठन दो या दो से अधिक जिलों के लिए कर सकती है;

यह और भी कि, राज्य सरकार इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा किसी जिले के लिए एक से अधिक बोर्ड का गठन भी कर सकती है और उन बोर्डों के क्षेत्राधिकार के संबंध में स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकती है या श्रम संबंधी मामलों से संबंधित किसी अन्य कानून के अंतर्गत पहले से मौजूद किसी बोर्ड को प्राधिकृत कर सकती है।

(2) इस बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मनोनीत किए गए सदस्य सम्मिलित होंगे जो नियोजकों, घरेलू कर्मचारियों और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(3) नियोजकों और घरेलू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या नियोजकों और घरेलू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की कुल संख्या की एक–तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(4) बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया एक सदस्य होगा जिसे इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को मनोनीत कर देने के पश्चात राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस बोर्ड के सभी सदस्यों के नामों का प्रकाशन करेगी।

(6) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

(7) बोर्ड के सदस्य (जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य न हो) बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड की निधि से निर्धारित की गई दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

(8) बोर्ड की बैठकों का आयोजन और उन बैठकों में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि उसके पूरक या प्रासंगिक सभी मामलों के लिए विनियम द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी।

9. सदस्य को अयोग्य ठहराना और उसे हटाना

(1) किसी भी ऐसे व्यक्ति का बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन नहीं किया जाएगा या उसे इस पद पर बने रहने नहीं दिया जाएगा जो–

(क) बोर्ड का एक वेतनभोगी अधिकारी हो;

(ख) वर्तमान में या पहले किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो;

(ग) विक्षिप्त हो या अस्वस्थ मानसिक स्थिति का हो; या

(घ) ऐसा अपराध जिसमें नैतिक अधमता अंतर्निहित हो, के लिए दोषसिद्ध हो या पहले कभी दोषसिद्ध किया गया हो।

(2) राज्य सरकार किसी भी ऐसे सदस्य को उसके पद से हटा सकती है जो–

(क) उप–धारा (1) में उल्लिखित किसी भी कारण से अयोग्य हो या उल्लिखित किसी भी अयोग्यता उस पर लागू होती हो; या

(ख) बोर्ड की तीन से अधिक क्रमागत बैठकों में बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना अनुपस्थित हो;

(ग) सरकार की राय में, सदस्य के पद का इतना दुरुपयोग किया हो कि उस व्यक्ति को पद पर बने रहने देना जनहित में हानिकारक हो या ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहने देना अनुपयुक्त हो;

यह भी कि, किसी भी व्यक्ति को खंड (ग) के अंतर्गत उसके पद से हटाया नहीं जा सकता यदि उस व्यक्ति को उसे उसके पद से हटाने के संबंध में कारण बताने के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।

(3) इस अधिनियम के किसी भी उपबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद सदस्य राज्य सरकार के पर्सादपर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और यदि राज्य सरकार की राय मेंः–

(क) नियोजकों और घरेलू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य नियोजकों या, जैसी भी स्थिति हो, घरेलू कर्मचारियों का पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व करना बंद कर देते हों, या

(ख) राज्य सरकार में परिस्थितियों या सेवाओं की अपरिहार्यता के दृष्टिगत, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना जारी नहीं रख सकता,

तो यह, एक आदेश जारी करके, उनमें से सभी को या किसी भी एक को किसी भी समय उनके पद से हटा सकती है।

10. सदस्य द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देनाः

बोर्ड का कोई भी सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्तलिखित पत्र द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और राज्य सरकार द्वारा उसके त्यागपत्र को स्वीकार कर लेने पर बोर्ड में उस सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

11. सही और वैध समझी जाने वाली कार्यवाहीः

बोर्ड की किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर कि उसमें किसी सदस्य का पद रिक्त है या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है, कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता या उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता।

12. बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारीः

(1) बोर्ड इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के अनुमोदन से एक सचिव और उन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें इसके द्वारा अपने कार्यों के प्रभावी रूप में निर्वहन हेतु आवश्यक समझा जाए।

(2) बोर्ड का सचिव इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(3) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य, उनका कार्यकाल और नियुक्ति संबंधी शर्तें तथा उन्हें देय वेतन और भत्ते समय–समय पर विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

13. बोर्ड के कार्यः

जिला बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगाः

(क) बोर्ड या तो सीधे या कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी) के माध्यम से इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार घरेलू कर्मचारियों और नियोजकों तथा सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण करेगा या उसके हेतु

निमित्त बनेगा तथा अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में परिभाषित घरेलू कर्मचारियों के पंजीकरण का अधिकार रखेगा;

(ख) लाभभोगियों को निम्नलिखित लाभ मंजूर करना, जिसके वे अधिनियम के अंतर्गत पात्र हैं:

(i) किसी भी लाभभोगी को दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करना;

(ii) लाभभोगी के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(iii) लाभभोगी या उसके किसी आश्रित की रोगग्रस्तता की स्थिति में उपचार हेतु चिकित्सीय व्यय का प्रावधान करना;

(iv) महिला लाभभोगियों के लिए मातृत्व लाभों का प्रावधान करना:

परंतु, उसे प्रदान किए जाने वाले मातृत्व लाभ उसकी केवल दो संतानों तक ही प्रतिबंधित होंगे;

(v) लाभभोगी की मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी उत्तराधिकारी को उसके दाह संस्कार पर होने वाले व्यय का भुगतान करना;

(vi) विवादों का बातचीत के जरिए समाधान के प्रयास करना;

(vii) पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करना;

(viii) लाभभोगियों को पहचानपत्र जारी करना;

(ix) कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के संबंध में जानकारी का प्रचार–प्रसार करना;

(x) अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए अधिदेश के अनुसार कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी) को कर्मचारियों और अन्यों से अंशदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बिचौलिए के रूप में कार्य करने के लिए और प्राप्त राशि को जिला बोर्ड में जमा कराने के लिए प्राधिकार प्रदान करना;

(xi) घरेलू कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और उन्हें कार्यकुशल बनाना;

(xii) राज्य बोर्डों के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्मित की गई किसी भी स्कीम या कल्याणकारी उपायों को लागू करना;

(xiii) बोर्ड द्वारा समय–समय पर यथानिर्मित सभी लाभों का निष्पादन करना।

(ग) जिला बोर्ड राज्य बोर्ड से परामर्श करके अन्य कानूनों जैसेकि असंगठित क्षेत्र अधिनियम, 2009 के अंतर्गत यथाप्रयोज्य स्कीमें लागू करेगा;

(घ) कर्मचारियों का पंजीकरण सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ ऐसे क्षेत्रों में, जहां आवश्यक समझा जाए, कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी) के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक को या एक से अधिक को नामोद्दिष्ट करना:

(i) स्थानीय पंचायती राज संस्था या शहरी स्थानीय निकाय

(ii) निवासी कल्याण एसोसिएशन/सोसाइटी

(iii) घरेलू कर्मचारियों द्वारा गठित उनके कल्याणार्थ काम करने वाले ऐसे संगठन जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना न हो

यह और भी कि, कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी) जिला बोर्ड के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

(ड.) बोर्ड ऐसे रजिस्टरों और रिकार्डों का रखरखाव करेगा जिनमें नियोजित घरेलू कर्मचारियों, घरेलू कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और ऐसे विवरणों का उल्लेख होगा जिनका समय–समय पर उल्लेख किया जाए;

(च) बोर्ड केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पूर्व–अनुमोदन से किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत किसी भी कल्याण स्कीम को क्रियान्वित कर सकता है।

14. जिला बोर्ड की शक्तियां:

(1) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्मित किसी भी नियम/नियमों के अध्यधीन बोर्ड, स्थानीय सीमाओं के भीतर–

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी स्थान या परिसर में इस अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जाता रहा है या किया जा रहा है, आवश्यक समझे जाने वाली जांच या पूछताछ करना;

(ख) कोई दस्तावेज़, रिकार्ड या साक्ष्य (लिखित या मौखिक) प्रस्तुत करने के लिए कहना;

(ग) यदि इस संबंध में संदेह करने का उपयुक्त आधार हो कि किसी स्थान या परिसर में किसी घरेलू कर्मचारी का किसी भी प्रकार का यौन शोषण किया गया हो या किया जा रहा हो अथवा उसे गलत रूप से निरुद्ध करके रखा गया हो या घरेलू कर्मचारी के रूप में किसी बाल श्रमिक (बालिका) को नियुक्त किया गया हो, तो संबंधित कर्मचारी का उद्धार करने के लिए संबंधित स्थान या परिसर में किसी भी समय आवश्यक समझे जाने वाली सहायता के साथ प्रवेश करना।

(2) प्रत्येक नियोजक द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में उपयुक्त सुवधिाएं उपलब्ध कराई जाएंगी;

(3) प्रत्येक जिला बोर्ड किसी ऐसे विवाद का अधिनिर्णय करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत सिविल न्यायालयों में निहित समान शक्तियों का उपभोग करेगा, जो निम्नलिखित मामलों से संबंधित हों, अर्थातः–

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और उसे शपथ दिलाकर उसकी जांच करने;

(ख) दस्तावेज़ों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने;

(ग) साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रवर्तन आदेश जारी करने;

(घ) यथानिर्धारित किसी भी अन्य मामले के संबंध में कार्रवाई करने।

अध्याय तीन
पंजीकरण प्रक्रिया

15. पंजीकरण

(क) तत्सयम प्रवृत्त किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, सभी घरेलू कर्मचारियों, नियोजकों या सेवा प्रदाताओं का यहां नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण किया जाएगाः

(ख) प्रत्येक नियोजक/सेवा प्रदाता और घरेलू कर्मचारी, जो भी लागू हो, द्वारा घरेलू कार्य हेतु घरेलू कर्मचारियों का रोज़गार आरंभ होने के एक माह के भीतर, जिला बोर्ड या जिला बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को निर्धारित किए गए अनुसार ब्योरे उपलब्ध कराते हुए निर्धारित पंजीकरण शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई व्यक्ति इस संबंध में निर्धारित की गई अवधि की समाप्ति के पश्चात पंजीकरण हेतु किए गए आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि उसे यह समाधान हो जाए कि आवेदक द्वारा समय से आवेदन न कर पाने के संबंध में उपयुक्त कारण हैं।

(ग) यदि घरेलू कर्मचारी दो या दो से अधिक घरों में अंशकालिक आधार पर कार्य करती हो और उसे किसी स्थापन एजेंसी द्वारा रोजगार में नहीं लगाया गया है तो उस घरेलू कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जिला बोर्ड में अपना पंजीकरण कराए। यह और भी कि यदि ऐसे कर्मचारी को किसी एजेंसी के माध्यम से काम पर लगाया गया हो और वह एक से अधिक घरों में कार्य करती हो तो ऐसे कर्मचारी का पंजीकरण कराना उस एजेंसी का कर्त्तव्य होगा।

(घ) यदि कोई घरेलू कर्मचारी किसी जिले में अपना काम छोड़कर, भारत की प्रादेशिक सीमा के भीतर किसी भी भाग में किसी अन्य क्षेत्र में चली जाती है और वहां किसी घर में घरेलू कर्मचारी के रूप में या तो स्वयं या किसी एजेंसी या किसी बिचौलिए के माध्यम से कार्य करने लगती है, तो ऐसे कर्मचारी या एजेंसी या बिचौलिए का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस बोर्ड को कर्मचारी के स्थानांतरण के बारे में सूचित करे जहां वह पहले से पंजीकृत थी और जिस स्थान पर उस कर्मचारी ने कार्य करना आरंभ किया है, वहां के बोर्ड में उसके पंजीकरण के संबंध में कार्रवाई करे।

(ड.) उपर्युक्त उपबंधों में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी घरेलू कर्मचारी को किसी बिचौलिए, किसी एजेंसी या सेवा प्रदाता के जरिए घर में काम पर लगाया गया हो, तो निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी ऐसी एजेंसी या बिचौलिए या सेवा प्रदाता की होगी न कि उस मुख्य नियोजक की, जिसके घर में वह कर्मचारी कार्य करता है।

16. पंजीकरण शुल्क

(क) यदि नियोजक किसी घरेलू कर्मचारी को पूर्णकालिक आधार पर काम पर रखता है तो ऐसे नियोजक का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात पर विचार किए बिना कि घरेलू कर्मचारी उस रोजगार में कार्य करना जारी रखती है या नहीं अथवा दो से अधिक घरों में अंशकालिक आधार पर घरेलू कार्य का निष्पादन करती है, बोर्ड में उस

कर्मचारी का नाम निर्धारित शुल्क का भुगतान करके पंजीकृत कराए जो इस संबंध में वार्षिक अभिदान का एक हिस्सा होगा।

(ख) यदि घरेलू कर्मचारी को किसी एजेंसी या बिचौलिए या सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य पर रखा जाता हो, तो ऐसी एजेंसी या बिचौलिए, जैसी स्थिति हो, का यह कर्त्तव्य होगा कि वह निर्धारित शुल्क सहित पंजीकरण हेतु इन ब्योरों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराए।

यह भी कि बोर्ड किसी सेवा प्रदाता द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर यदि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए तो इस संबंध में अकाट्य कारणों का उल्लेख करते हुए ऐसे किसी सेवा प्रदाता को शुल्क के भुगतान से छूट दे सकता है।

17. पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण

पंजीकरण प्रमाणपत्र का यथानिर्धारित शुल्क का भुगतान करके एक वर्ष के अंतराल पर नवीकरण किया जाएगा।

18. किसी अवयस्क (महिला) को रोजगार पर रखना

किसी भी अवयस्क (महिला) को तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत निषिद्ध ऐसे किसी भी प्रासंगिक या आनुषंगिक कार्य के लिए घरेलू कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा।

अध्याय चार
निधि की स्थापना

19. घरेलू कर्मचारी कल्याण निधि

(1) घरेलू कर्मचारी कल्याण निधि नामक एक निधि स्थापित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित राशियां जमा कराई जाएंगीः

(क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निधि हेतु दिया गया कोई भी अनुदान;

(ख) लाभभोगियों से प्राप्त कोई राशि;

(ग) जिला बोर्ड को पंजीकरण शुल्क और अन्य शुल्कों के रूप में प्राप्त सभी राशि;

(घ) निधि में जमा राशि के निवेश से प्राप्त कोई भी आय;

(ड.) एकत्र की गई जुर्माने की राशियां;

(च) बोर्ड को किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त अन्य सभी राशियां;

(2) इस निधि का संचालन जिला बोर्ड द्वारा किया जाएगा और जिला बोर्ड द्वारा इस राशि का उपयोग घरेलू कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले कार्यों और सुविधाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विशेषकर निम्नलिखित के लिए किया जाएगाः

(i) बोर्ड द्वारा निर्णय किए गए अनुसार घरेलू कर्मचारियों/लाभभोगियों के लाभ हेतु आवश्यक समझे जाने वाले कल्याणकारी उपायों या सुविधाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने;

(ii) घरेलू कर्मचारियों के कल्याण हेतु किसी सहायता या स्कीम जिसमें परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, शिक्षा, बीमा और अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल हैं, हेतु कोई धनराशि संस्वीकृत करना;

अध्याय पांच
घरेलू कर्मचारियों का लाभभोगी के रूप में पंजीकरण

20. निधि के लाभभोगी

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक घरेलू कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा इस निधि से प्रदान किए गए लाभों की पात्र होगी:

ऐसी प्रत्येक घरेलू कर्मचारी जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किंतु 65 वर्ष की न हो और जो पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान कम से कम नब्बे दिनों तक की अवधि के दौरान किसी घरेलू कार्य में नियुक्त हो, इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकरण की पात्र होगी;

(2) इस संबंध में बोर्ड में पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित किए गए प्रपत्र के अनुसार किया जाएगा;

(3) उप–धारा (2) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज़ और शुल्क जमा कराए जाएंगे;

(4) यदि उप–धारा (2) के अंतर्गत बोर्ड को इस बात का समाधान हो जाए कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया है तो वह उस घरेलू कर्मचारी के नाम का इस अधिनियम के अंतर्गत **घरेलू कर्मचारी** के रूप में पंजीकरण कर लेगा;

परंतु पंजीकरण हेतु किए गए किसी आवेदन को आवेदक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना और लिखित में कारण बताए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

(5) उप–धारा (4) के अंतर्गत निर्णय से व्यथित किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर, राज्य बोर्ड में अपील की जा सकती है और इस अपील पर राज्य बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा;

यह भी कि इस संबंध में राज्य बोर्ड 30 दिनों की कथित अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील पर कार्यवाही कर सकता है, यदि उसे इस बात का समाधान हो जाए कि घरेलू कर्मचारी के पास समय से अपील दायर न करने का पर्याप्त कारण है।

21. पहचान पत्र

(1) बोर्ड प्रत्येक लाभभोगी को एक पहचान पत्र जारी करेगा जिस पर उस लाभभोगी की फोटो लगी होगी और साथ ही उसे एक पासबुक भी देगा ताकि लाभभोगी किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सके।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत जिस लाभभोगी को पहचान पत्र जारी किया गया है, वह किसी सरकारी अधिकारी या बोर्ड या किसी भी अन्य जांच प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगी।

22. पंजीकरण की समाप्ति

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकृत घरेलू कर्मचारी द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर या एक वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिनों से घरेलू कर्मचारी के रूप में कार्य न करने पर घरेलू कर्मचारी के रूप में उसका पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा;

परंतु इस उप–धारा के अंतर्गत 90 दिन की अवधि का परिकलन करते समय किसी व्यक्तिगत क्षति अथवा दुर्घटना के कारण कार्य से अनुपस्थिति की अवधि शामिल नहीं की जाएगी।

(2) उप–धारा (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए, यदि कोई महिला 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से शीघ्र पहले निरंतर कम से कम 3 वर्षों तक लाभभोगी रही हो तो वह इस संबंध में निर्धारित किए गए अनुसार पेंशन सहित अन्य सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।

23. घरेलू कर्मचारियों का रजिस्टर

जिला बोर्ड जिले में लाभभोगियों के रोजगार का ब्योरा दर्शाते हुए निर्धारित किए गए अनुसार रिकार्ड/रजिस्टर का रखरखाव करेगा।

24. घरेलू कर्मचारियों द्वारा अंशदान

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकृत घरेलू कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक विनिर्दिष्ट/विनिर्धारित की गई दर पर प्रति माह निधि में अंशदान करेगी;

परंतु यदि बोर्ड को इस बात का समाधान हो जाए कि लाभभोगी किसी वित्तीय कठिनाई के कारण अपना अंशदान करने में असमर्थ है तो वह अंशदान की राशि माफ कर सकता है जो एक बार में तीन माह से अधिक की अवधि से संबंधित नहीं होगा;

(2) लाभभोगी अपनी मासिक मजदूरी से निधि में अंशदान की राशि की कटौती करने और उसे 15 दिनों के भीतर बोर्ड में जमा कराने के लिए अपने नियोजक को प्राधिकृत कर सकती है।

25. अंशदान की अदायगी न किए जाने का प्रभाव

यदि कोई लाभभोगी एक ऐसी अवधि तक जो एक वर्ष से कम न हो, धारा 20 की उप–धारा (1) के अंतर्गत अपने अंशदान की अदायगी नहीं करती हो तो वह लाभभोगी नहीं रहेगी;

परंतु यदि बोर्ड को इस बात का समाधान हो जाए कि अंशदान की अदायगी नहीं करने का कोई ठोस कारण था और यदि घरेलू कर्मचारी बकाया की राशि जमा कराने की इच्छुक हो तो वह घरेलू कर्मचारी को अंशदान की बकाया राशि जमा करने की अनुमति दे सकता है और इस राशि को जमा कर दिए जाने पर घरेलू कर्मचारी का पंजीकरण पुनः बहाल हो जाएगा।

अध्याय छह
कार्य की दशाओं का विनियमन

26. नियोजक और सेवा प्रदाता के कर्त्तव्य

(1) प्रत्येक नियोजक और सेवा प्रदाता सीधे या किसी एजेंसी के जरिए काम पर रखे गए घरेलू कर्मचारियों से संबंधित विवरण निर्धारित किए गए शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में जिला बोर्ड और बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा;

(2) कोई भी सेवा प्रदाता या व्यक्ति/एजेंसी किसी भी नियोजक को घरेलू कर्मचारी उपलब्ध कराने का व्यवसाय नहीं करेगा यदि उक्त सेवा प्रदाता या एजेंसी या व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न हो;

(3) सेवा प्रदाता भारत के किसी भी भू–भाग से रोज़गार के प्रयोजनार्थ संपर्क करने वाले सभी घरेलू कर्मचारियों से संबंधित रिकार्ड रखेगा और निर्धारित किए गए प्रपत्र में इससे संबंधित ब्योरे उपलब्ध कराएगा;

(4) काम के घंटे – किसी भी कर्मचारी से किसी घर में एक दिन में नौ घंटों से अधिक या एक सप्ताह में 48 घंटों से अधिक समय तक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और न ही उसे इसकी अनुमति दी जाएगी;
कार्य के घंटों का निर्धारण कार्य की प्रकृति के अनुसार और अधिकतम आठ घंटे को सीमा मानकर पूर्णकालिक कर्मचारियों के मामले में विश्राम और भोजन के लिए पर्याप्त समय का प्रावधान करते हुए; बशर्ते कि कार्य का समय कार्यस्थल पर निवास करने वाले कर्मचारियों के मामले में 12 घंटे से अधिक न हो (कर्मचारी को कार्य की बीच 3–4 घंटे आराम के लिए मिल सकें) और इसी प्रकार पूर्णकालिक आधार पर कार्य करने वाले और कार्यस्थल से बाहर निवास करने वाले कर्मचारियों के मामले में काम की अवधि 8 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए;

यह भी कि किसी वयस्क महिला कर्मचारी को ऐसे घर में इस धारा के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा से अधिक समय तक कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि उसे कार्य के घंटे सप्ताह में 48 घंटों से अधिक होने पर समयोपरि मजदूरी दी जाए और समयोपरि कार्य किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह के दौरान कुल मिलाकर पचास घंटे से अधिक न हो;

(5) समयोपरि कार्य हेतु मजदूरी;

यदि किसी घर में काम पर रखी गई कर्मचारी से समयोपरि कार्य की अपेक्षा की जाती है तो उस समयोपरि कार्य के लिए वह मजदूरी की सामान्य दर से दुगुनी दर पर मजदूरी प्राप्त करने की पात्र होगी। समयोपरि दर का परिकलन जिस सप्ताह में समयोपरि कार्य किया गया है, उस सप्ताह से तत्काल पहले के सप्ताह के दौरान उस कर्मचारी द्वारा वास्तव में जिन कार्य दिवसों के दौरान कार्य किया गया है, उस दौरान अर्जित प्रति दिन की औसत आय की राशि के डेढ़ गुने के आधार पर किया जाएगा;

(6) कार्य के बीच विश्राम – किसी भी घर में कर्मचारियों के लिए कार्य की अवधि का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि कार्य की कोई भी अवधि एक बार में पांच घंटे से अधिक नहीं होगी और कोई भी कर्मचारी आधे घंटे तक विश्राम करने के पश्चात पांच घंटे से अधिक समय तक कार्य नहीं करेगी;

(7) साप्ताहिक अवकाश दिवस – प्रत्येक कर्मचारी चाहे वह पूर्णकालिक हो, अंशकालिक हो, कार्यस्थल पर निवास करती हो, रात्रि पाली के दौरान कार्य करती हो, सप्ताह में एक दिन अवकाश प्राप्त करने की पात्र होगी।

27. न्यूनतम मजदूरी –

(1) उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा –

(क) घरेलू कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करेगी;

(ख) उपयुक्त समझी जाने वाली अवधियों पर, जो पांच वर्षों से अधिक के अंतराल पर न हो, मजदूरी की दरों की समीक्षा करेगी तथा मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करेगी और आवश्यक समझे जाने पर उसमें संशोधन करेगी;

(2) उपयुक्त सरकार निम्नलिखित का निर्धारण कर सकती है–

(क) समय कार्य हेतु मजदूरी की न्यूनतम दर (जिसे इसके पश्चात "न्यूनतम समय दर" कहा गया है);

(ख) उजरती कार्य के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर (जिसे इसके पश्चात "न्यूनतम उजरती दर" कहा गया है);

(ग) उजरती कार्य में लगी कर्मचारियों के मामले में पारिश्रमिक की न्यूनतम दर ताकि ऐसी कर्मचारी के लिए समय कार्य आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर सुनिश्चित की जा सके (जिसे इसके पश्चात "गारंटित समय दर" कहा गया है);

(घ) न्यूनतम दर के बदले प्रयोज्य न्यूनतम दर (समय दर या उजरती दर में से कोई भी) जो कर्मचारी द्वारा किए गए समयोपरि कार्य के संबंध में अन्यथा प्रयोज्य होगी (जिसे इसके पश्चात "समयोपरि दर" कहा गया है);

(ड.) न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण निम्नलिखित मजदूरी अवधियों में से किसी एक या अधिक के आधार पर किया जाए:

(i) घंटे के आधार पर

(ii) दिन के आधार पर

(iii) महीने के आधार पर

28. अपराध और दंड

(1) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी सेवा प्रदाता अधिकतम तीन माह के कारावास की सजा और अधिकतम 2,000/– रुपए तक के जुर्माने, या दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है और यदि उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन जारी रखा जाए तो उस पर एक अतिरिक्त जुर्माना आरोपित किया जा सकता है जिसकी राशि ऐसे उल्लंघन के संबंध में सेवा प्रदाता को पहली बार दोषसिद्ध करार दिए जाने के बाद उल्लंघन की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए 100/– रुपए तक हो सकती है;

(2) यदि उप–धारा (1) के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया कोई व्यक्ति दोबारा उसी उपबंध का उल्लंघन करने या उसके अनुपालन में विफल रहने का दोषी पाया जाता हो, तो परवर्ती उल्लंघन पर उसे छह महीने तक के कारावास की सजा और कम से कम 200 रुपए तक के जुर्माने द्वारा जिसकी राशि 5,000/– रुपए तक हो सकती है या फिर दोनों द्वारा, दंडित किया जाएगा;

(3) यदि कोई नियोजक अधिनियम के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे 2,000/– रुपए तक के जुर्माने द्वारा दंडित किया जाएगा;

(4) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी या जिला बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को जांच करने से जानबूझकर रोकता हो या ऐसे अधिकारी को नियोजक या इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित सेवा प्रदाता के संबंध में इस अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत प्राधिकृत निरीक्षण, जांच, पूछताछ या अन्वेषण हेतु उचित सुविधा उपलब्ध कराने से अस्वीकार करता हो या जानबूझकर अवहेलना करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को तीन महीने तक के कारावास की सजा और 2,000/– रुपए तक जुर्माना, या दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है;

(5) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज़ को जिला बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जांच हेतु मांग किए जाने पर उपलब्ध कराने से जानबूझकर इनकार करता हो या रोकता हो या रोकने का प्रयास करता हो या अपने विश्वास के आधार पर ऐसा कोई भी कार्य करता हो जिससे इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्त्तव्यों का अनुसरण कर रहे निरीक्षणकर्ता व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने या जांचे जाने के लिए किसी व्यक्ति का आना बाधित होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम तीन माह के कारावास या 2,000/– रुपए तक की सजा या दोनों प्रकार की सजाओं द्वारा दंडित किया जा सकता है;

(6) कोई भी व्यक्ति जो–

(i) जानबूझकर किसी लड़की या महिला को अनैतिक प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे स्थान पर जहां उसके नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट हो जाने की संभावना हो, भेजता हो, जाने का निर्देश देता हो या लेकर जाता हो; या

(ii) ऐसी महिला या बालिका का किसी भी रूप में यौन शोषण करता हो; या

(iii) छोटी बच्चियों को घरेलू कर्मचारी के रूप में उपलब्ध कराता हो

उसे कम से कम तीन वर्ष की अवधि जो 7 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है, के कारावास और 2,000/– रुपए तक के जुर्माने या दोनों द्वारा दंडित किया जाएगा।

29. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध पर संज्ञान नहीं लेगा, यदि शिकायत–

(क) राज्य बोर्ड या जिला बोर्ड द्वारा या उसकी लिखित में पूर्व–संस्तुति द्वारा दर्ज न कराई गई हो;

(ख) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन के पदाधिकारी द्वारा नहीं की गई हो;

(ग) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न स्तर का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

30. अभियोजन की सीमा

कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध पर संज्ञान नहीं लेगा, यदि संबंधित शिकायत जिला या राज्य बोर्ड को कथित अपराध के संबंध में जानकारी प्राप्त होने की तारीख से **एक वर्ष** के भीतर न की जाती हो।

अध्याय सात
विविध उपबंध

31. इस अधिनियम से असंगत कानूनों और करारों का प्रभाव

(1) इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभण की तारीख से पहले या बाद में लागू किसी भी अन्य कानून में निहित असंगत बातों या सेवा के किसी करार या संविदा में निहित असंगत बातों के होते हुए भी, प्रभावित होंगे;

(2) इस अधिनियम में निहित कोई भी बात किसी भी कर्मचारी को प्रधान नियोजक, जैसी भी स्थिति हो, के साथ उसे इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों या सुविधाओं से अधिक अनुकूल समझे गए अधिकारों या सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए करार करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी।

32. अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई का संरक्षण

(1) बोर्ड के किसी भी सदस्य या किसी गैर–सरकारी संगठन के विरुद्ध उसके द्वारा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसरण में सद्भावना से प्रेरित होकर किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती;

(2) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत जारी किसी नियम या अधिसूचना या आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किए गएया किए जाने वाले किसी कार्य के कारण हुई या होने वाली किसी क्षति के लिए सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी।

33. बोर्ड का अधिक्रमण

(1) यदि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो जाए या अन्यथा उसकी यह राय हो कि–

(क) बोर्ड अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है, या

(ख) बोर्ड ने अपने कार्यों के निर्वहन में लगातार देरी की है या अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो राज्य सरकार बोर्ड को अधिक्रमित (बरखास्त) कर सकती है और अधिक्रमण की तारीख से 12 महीनों की अवधि के भीतर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बोर्ड का निर्धारित तरीके से इसका पुनर्गठन करेगी। अधिक्रमण की अवधि में उपयुक्त कारणों का उल्लेख करते हुए अधिसूचना जारी करके अधिकतम छह महीने तक का विस्तार किया जा सकता है;

परंतु खंड (ख) में उल्लिखित किसी भी आधार पर इस उप–धारा के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने से पहले, राज्य सरकार बोर्ड को इस संबंध में कारण बताने का उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी कि इसका अधिक्रमण क्यों न कर दिया जाए और बोर्ड द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और आपत्तियों पर विचार करेगी।

(2) बोर्ड के अधिक्रमण के पश्चात इसका पुनर्गठन किए जाने तक इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और उसके कार्यों का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा या इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी या अधिकारियों द्वारा किया जाएगा;

(3) बोर्ड को अधिक्रमित किए जाने पर निम्नलिखित परिणाम संभव हो सकते हैं, अर्थात–

(क) उप–धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से बोर्ड के सभी सदस्य अपने पद को रिक्त कर देंगे;

(ख) बोर्ड द्वारा प्रयुक्त या निष्पादित सभी शक्तियों और कार्यों का अधिक्रमण की अवधि के दौरान अधिसूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रयोग या निष्पादन किया जाएगा;

(ग) बोर्ड के पास उपलब्ध सभी निधियां और अन्य संपत्तियां अधिक्रमण की अवधि के दौरान राज्य सरकार के अधीन होंगी और बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने पर वे निधियां और संपत्ति बोर्ड को अंतरित हो जाएंगी।

34. समस्याओं को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो, तो केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के सुसंगत ऐसे उपबंधों को निर्मित कर सकती है जो संबंधित समस्या को दूर करने हेतु अनिवार्य या समीचीन समझे जाएं;

(2) इस धारा के अंतर्गत निर्मित सभी आदेश, निर्मित किए जाने के शीघ्र बाद संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएं।

35. लेखा और लेखापरीक्षा

(क) केंद्र, राज्य और जिला बोर्ड उचित लेखाओं और संगत रिकार्डों का रखरखाव करेंगे और निर्धारित किए गए रूप में अपने लेखाओं से संबंधित विवरणी तैयार करेंगे;

(ख) केंद्रीय बोर्ड निर्धारित की गई तारीख से पहले केंद्र सरकार को स्वयं अपनी और निधियों के संबंध में समेकित लेखाओं की लेखापरीक्षित प्रति और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

(ग) राज्य और जिला बोर्ड राज्य सरकार को निर्धारित की गई तारीख से पहले अपनी लेखाओं की लेखापरीक्षित प्रति और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

36. नियम निर्मित करने की शक्ति

(1) केंद्र सरकार पूर्व में जारी प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन इस अधिनियम के उद्देश्यों के निष्पादन हेतु नियम बना सकती है;

(2) ऐसे नियम विशेषकर, और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता के संबंध में किसी पूर्वधारणा के बिना निम्नलिखित में से सभी और किसी एक हेतु प्रावधान कर सकते हैं, अर्थातः–

(क) केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनका कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें, उनके कार्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली कार्यविधि और अधिनियम की धारा (4) के अंतर्गत बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने का तरीका;

(ख) इन अधिनियम की धारा (5)(छ) के अंतर्गत निर्धारित किए जाने के लिए अपेक्षित या किए जाने योग्य कोई अन्य मामला;

(ग) रूप और तरीका जिसमें अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत वार्षिक लेखा विवरणी और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा जबकि उसका सत्र कुल 30 दिनों की अवधि के लिए हो जो अवधि एक सत्र या दो अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकती है, और यदि जिस सत्र में इस नियम को रखा जाता है उसकी समाप्ति से पूर्व अथवा उसके तत्काल बाद आने वाले सत्र से पूर्व दोनों सदन इस नियम में किसी संशोधन हेतु सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम निर्मित नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात उस नियम का इस संशोधित रूप में प्रभाव होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जो भी स्थिति हो, अतः तथापि यह कि ऐसे किसी भी संशोधन या विलोपन से उस नियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता प्रभावित नहीं होगी;

37. नियम बनाने की शक्तियां

(1) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके और यदि नियमों को पहली बार निर्मित किया गया हो, तो इस स्थिति को छोड़कर, पूर्व में जारी किसी प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन हेतु नियम बनाएगी;

(2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त उपबंध की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों के द्वारा निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी भी एक के लिए प्रावधान किया जाए, अर्थात–

(क) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल;

(ख) बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड के सदस्यों को देय यात्रा और दैनिक भत्तों की दर;

(ग) लाभभोगी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र;

(घ) लाभभोगी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ और पंजीकरण शुल्क;

(ड.) बोर्ड के सचिव द्वारा उसके अनुरक्षण में रखे जाने वाले रजिस्टर;

(च) निधि से भुगतान की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए लाभभोगी द्वारा किए जाने वाले आवेदन का प्रपत्र और आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़;

(छ) लाभभोगियों द्वारा निधि में दिए जाने वाले अंशदान की राशि;

(ज) लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्रपत्र और तुलन–पत्र;

(झ) बोर्ड का बजट तैयार किए जाने के लिए प्रपत्र और उसे राज्य सरकार को भेजे जाने का समय;

(ञ) बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किए जाने के लिए प्रपत्र और उसे राज्य सरकार को भेजे जाने का समय;

(ट) सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या और उनके चयन का तरीका;

(ठ) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल;

(ड) सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सलाहकार समिति के सदस्यों को देय यात्रा और दैनिक भत्तों की दर;

(ढ) इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित या निर्धारित कोई अन्य मामला

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा जबकि उसका सत्र कुल 30 दिनों की अवधि के लिए हो जो अवधि एक सत्र या दो अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकती है, और यदि जिस सत्र में इस नियम को रखा जाता है उसकी समाप्ति से पूर्व अथवा उसके तत्काल बाद आने वाले सत्र से पूर्व दोनों सदन इस नियम में किसी संशोधन हेतु सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम निर्मित नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात उस नियम का इस संशोधित रूप में प्रभाव होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जो भी स्थिति हो, अतः तथापि यह कि ऐसे किसी भी संशोधन या विलोपन से उस नियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता प्रभावित नहीं होगी;